

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-164

जिसका उत्तर 28 जुलाई, 2016 को दिया जाना है ।

विद्युत का आबंटन

*164. डॉ. भोला सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय पूल से विद्युत की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण देश में अनेक राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को विद्युत की कमी का सामना करना पड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) उक्त अवधि के दौरान केन्द्रीय पूल से राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्ष-वार विद्युत की मांग और आपूर्ति कितनी रही;
- (ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में कोई समीक्षा की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) नए विद्युत संयंत्रों की स्थापना सहित विद्युत की कमी का सामना कर रहे राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"विद्युत का आबंटन" के बारे में लोक सभा में दिनांक 28.07.2016 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 164 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) को राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2015-16 के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर ऊर्जा की कमी को घटाकर उसे 2.1% किया गया जो पिछले दो दशकों में न्यूनतम है। चालू वर्ष 2016-17 (अप्रैल, 2016 से जून, 2016 तक) के दौरान ऊर्जा की कमी को और घटाकर 0.9% किया गया।

विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है। राज्य में विभिन्न उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति करना संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी के के कार्य-क्षेत्र में आता है। भारत सरकार, केंद्रीय क्षेत्र में केंद्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के माध्यम से विद्युत संयंत्रों की स्थापना कर तथा उनसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विद्युत आवंटित कर राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है। केंद्रीय उत्पादन केंद्रों की सारी विद्युत, हर वक्त, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पूर्णतः आवंटित होती है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष की विद्युत आपूर्ति की स्थिति के राज्यवार ब्यौरे **अनुबंध-I** पर दिए गए हैं।

(ख) : वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 (अप्रैल-मई) की विद्युत मांग (ऊर्जा आवश्यकता), हकदारी तथा आपूर्ति के ब्यौरे **अनुबंध-II** पर दिए गए हैं।

(ग) : विद्युत आपूर्ति की स्थिति की निगरानी सीईए द्वारा की जाती है। यह पाया गया है कि देश में पर्याप्त विद्युत की उपलब्धता के बावजूद राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मांग और आपूर्ति में अंतर मौजूद रहता है। मांग और आपूर्ति अंतर के कारण हैं - उप-पारेषण तथा वितरण बाधाएं, उच्च समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियां तथा राज्य वितरण यूटिलिटीयों की खराब वित्तीय स्थिति जिसकी वजह से वे बाजार से, अपेक्षित विद्युत नहीं खरीद सकते हैं।

(घ) : देश में विद्युत की कमी वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तथा राज्यों को पर्याप्त विद्युत-आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- (i) 12वीं योजना (2012-17) के दौरान, 30 जून, 2016 तक, पारंपरिक स्रोतों से लगभग 84,565 मेगावाट तथा नवीकरणीय स्रोतों से लगभग 19,500 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि कर दी गई है।
- (ii) विद्युत संयंत्रों को घरेलू कोयले की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित कर दी गई है। वर्ष 2015-16 के दौरान विद्युत संयंत्रों को घरेलू कोयले की आपूर्ति में लगभग 6.2% की वृद्धि हुई है। 24.07.2016 की स्थिति के अनुसार, विद्युत संयंत्रों में कोयले का भंडार 31.3 मिलियन टन (एमटी) है जो विद्युत संयंत्रों के प्रचालन के लिए 23 दिनों के लिए पर्याप्त है जबकि मानक

भंडार 21 दिन का होता है। इस समय कोई भी ऐसा विद्युत केंद्र नहीं है जहाँ कोयले के भंडार की नाजुक स्थिति हो।

- (iii) 12वीं योजना (2012-17) के दौरान 30 जून, 2016 तक 89,813 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइनें तथा 2,66,033 एमवीए ट्रांसफार्मेशन क्षमता पूरी कर दी गई है।
- (iv) भारत सरकार ने राज्यों के साथ भागीदारी करके 24x7 विद्युत सभी को उपलब्ध कराने हेतु राज्य विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार करने हेतु पहल की है।
- (v) उप-पारेषण तथा वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ करने तथा लाइनों की हानियों को कम करने और पर्याप्त एवं विश्वसनीय आपूर्ति करने हेतु कृषि फीडरों के पृथक्करण के लिए भारत सरकार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) तथा एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) नामक दो नई स्कीमों की शुरुआत की गई है।
- (vi) भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा दक्षता तथा अन्य मांग पक्ष प्रबंधन उपायों के संवर्धन के लिए कई कदम उठाए हैं।
- (vii) केंद्र सरकार ने डिस्कॉमों के प्रचालनात्मक तथा वित्तीय बदलाव के लिए 20.11.2015 को उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) अधिसूचित की है।
- (viii) भारत सरकार ने उत्पादन तथा पारेषण परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने को सुविधाजनक बनाने के लिए पर्यावरणीय एवं वन स्वीकृति संबंधी मुद्दों के शीघ्र समाधान के लिए कदम उठाए हैं।
- (ix) भारत सरकार ने स्ट्रैंड गैस आधारित उत्पादन के लिए विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) से सहायता देकर एक योजना की शुरुआत की है।

"विद्युत का आबंटन" के बारे में लोक सभा में दिनांक 28.07.2016 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 164 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध।

2013-14 के लिए विद्युत आपूर्ति स्थिति								
राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	ऊर्जा				व्यस्ततम			
	अप्रैल, 2013 - मार्च, 2014				अप्रैल, 2013 - मार्च, 2014			
	आवश्यकता (एमयू)	उपलब्धता (एमयू)	अधिशेष/कमी (-) (एमयू)	(%)	व्यस्ततम मांग (मेगावाट)	व्यस्ततम आपूर्ति (मेगावाट)	अधिशेष/कमी (-) (मेगावाट)	(%)
चंडीगढ़	1,574	1,574	0	0	345	345	0	0
दिल्ली	26,867	26,791	-76	-0.3	6,035	5,653	-382	-6.3
हरियाणा	43,463	43,213	-250	-0.6	8,114	8,114	0	0.0
हिमाचल प्रदेश	9,089	8,883	-206	-2.3	1,561	1,392	-169	-10.8
जम्मू व कश्मीर	15,613	12,187	-3,426	-21.9	2,500	1,998	-502	-20.1
पंजाब	47,821	47,084	-737	-1.5	10,089	8,733	-1,356	-13.4
राजस्थान	58,202	58,042	-160	-0.3	10,047	10,038	-9	-0.1
उत्तर प्रदेश	94,890	81,613	-13,277	-14.0	13,089	12,327	-762	-5.8
उत्तराखंड	11,944	11,493	-451	-3.8	1,826	1,826	0	0.0
उत्तरी क्षेत्र	3,09,463	2,90,880	-18,583	-6.0	45,934	42,774	-3,160	-6.9
छत्तीसगढ़	18,932	18,800	-132	-0.7	3,365	3,320	-45	-1.3
गुजरात	88,497	88,488	-9	0.0	12,201	12,201	0	0.0
मध्य प्रदेश	49,410	49,385	-25	-0.1	9,716	9,716	0	0.0
महाराष्ट्र	1,26,288	1,23,672	-2,616	-2.1	19,276	17,621	-1,655	-8.6
दमन व दीव	2,252	2,252	0	0.0	322	297	-25	-7.8
दादर व नागर हवेली	5,390	5,388	-2	0.0	661	661	0	0.0
गोवा	3,890	3,871	-19	-0.5	529	529	0	0.0
पश्चिमी क्षेत्र	2,94,659	2,91,856	-2,803	-1.0	41,335	40,331	-1,004	-2.4
आंध्र प्रदेश	95,662	89,036	-6,626	-6.9	14,072	13,162	-910	-6.5
कर्नाटक	64,150	58,052	-6,098	-9.5	9,940	9,223	-717	-7.2
केरल	21,577	21,052	-525	-2.4	3,671	3,573	-98	-2.7
तमिलनाडु	93,508	87,980	-5,528	-5.9	13,522	12,492	-1,030	-7.6
पुडुचेरी	2,344	2,320	-24	-1.0	351	333	-18	-5.1
लक्षद्वीप#	48	48	0	0	9	9	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	2,77,245	2,58,444	-18,801	-6.8	39,015	36,048	-2,967	-7.6
बिहार	15,391	14,759	-632	-4.1	2,465	2,312	-153	-6.2
डीवीसी	17,407	17,296	-111	-0.6	2,745	2,745	0	0.0
झारखंड	7,143	7,007	-136	-1.9	1,111	1,069	-42	-3.8
ओडिशा	24,958	24,546	-412	-1.7	3,727	3,722	-5	-0.1
पश्चिम बंगाल	42,891	42,762	-129	-0.3	7,325	7,294	-31	-0.4
सिक्किम	413	413	0	0.0	90	90	0	0.0
अंडमान-निकोबार #	240	180	-60	-25	40	32	-8	-20
पूर्वी क्षेत्र	1,08,203	1,06,783	-1,420	-1.3	15,888	15,598	-290	-1.8
अरुणाचल प्रदेश	552	517	-35	-6.3	125	124	-1	-0.8
असम	7,544	7,062	-482	-6.4	1,329	1,220	-109	-8.2
मणिपुर	579	548	-31	-5.4	134	133	-1	-0.7
मेघालय	1,794	1,604	-190	-10.6	343	330	-13	-3.8
मिजोरम	446	430	-16	-3.6	84	82	-2	-2.4
नागालैंड	577	561	-16	-2.8	109	106	-3	-2.8
त्रिपुरा	1,195	1,144	-51	-4.3	254	250	-4	-1.6
पूर्वोत्तर क्षेत्र	12,687	11,866	-821	-6.5	2,164	2,048	-116	-5.4
अखिल भारत	10,02,257	9,59,829	-42,428	-4.2	1,35,918	1,29,815	-6,103	-4.5

लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार एकल प्रणाली हैं, इन क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और उपलब्धता का हिस्सा नहीं है।

टिप्पणी : व्यस्ततम आपूर्ति और ऊर्जा उपलब्धता दोनों विभिन्न राज्यों में निवल खपत (पारेषण हानियों सहित) को दर्शाते हैं। निवल आयात की गणना आयात करने वाले राज्यों की खपत के लिए की गई है।

2014-15 के लिए विद्युत आपूर्ति स्थिति								
राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	ऊर्जा				व्यस्ततम			
	अप्रैल, 2014 - मार्च, 2015				अप्रैल, 2014 - मार्च, 2015			
	आवश्यकता (एमयू)	उपलब्धता (एमयू)	अधिशेष/कमी (-) (एमयू) (%)		व्यस्ततम मांग (मेगावाट)	व्यस्ततम आर्ति (मेगावाट)	अधिशेष/कमी (-) (मेगावाट) (%)	
चंडीगढ़	1,616	1,616	0	0	367	367	0	0
दिल्ली	29,231	29,106	-125	-0.4	6,006	5,925	-81	-1.3
हरियाणा	46,615	46,432	-183	-0.4	9,152	9,152	0	0.0
हिमाचल प्रदेश	8,807	8,728	-79	-0.9	1,422	1,422	0	0.0
जम्मू व कश्मीर	16,214	13,119	-3,095	-19.1	2,554	2,043	-511	-20.0
पंजाब	48,629	48,144	-485	-1.0	11,534	10,023	-1,511	-13.1
राजस्थान	65,717	65,310	-407	-0.6	10,642	10,642	0	0.0
उत्तर प्रदेश	1,03,179	87,062	-16,117	-15.6	15,670	13,003	-2,667	-17.0
उत्तराखंड	12,445	12,072	-373	-3.0	1,930	1,930	0	0.0
उत्तरी क्षेत्र	3,32,453	3,11,589	-20,864	-6.3	51,977	47,642	-4,335	-8.3
छत्तीसगढ़	21,499	21,230	-269	-1.3	3,817	3,638	-179	-4.7
गुजरात	96,235	96,211	-24	0.0	13,603	13,499	-104	-0.8
मध्य प्रदेश	53,374	53,082	-292	-0.5	9,755	9,717	-38	-0.4
महाराष्ट्र	1,34,897	1,33,078	-1,819	-1.3	20,147	19,804	-343	-1.7
दमन व दीव	2,086	2,086	0	0.0	301	301	0	0.0
दादर व नागर हवेली	5,307	5,304	-3	-0.1	714	714	0	0.0
गोवा	3,969	3,932	-37	-0.9	501	489	-12	-2.4
पश्चिमी क्षेत्र	3,17,367	3,14,923	-2,444	-0.8	44,166	43,145	-1,021	-2.3
आंध्र प्रदेश	59,198	56,313	-2,885	-4.9	7,144	6,784	-360	-5.0
तेलंगाना	43,337	40,644	-2,693	-6.2	7,884	6,755	-1,129	-14.3
कर्नाटक	62,643	59,926	-2,717	-4.3	10,001	9,549	-452	-4.5
केरल	22,459	22,127	-332	-1.5	3,760	3,594	-166	-4.4
तमिलनाडु	95,758	92,750	-3,008	-3.1	13,707	13,498	-209	-1.5
पुडुचेरी	2,402	2,376	-26	-1.1	389	348	-41	-10.5
लक्षद्वीप#	48	48	0	0	8	8	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	2,85,797	2,74,136	-11,661	-4.1	39,094	37,047	-2,047	-5.2
बिहार	19,294	18,759	-535	-2.8	2,994	2,874	-120	-4.0
डीवीसी	18,222	17,728	-494	-2.7	2,653	2,590	-63	-2.4
झारखंड	7,599	7,390	-209	-2.8	1,075	1,055	-20	-1.9
ओडिशा	26,482	26,052	-430	-1.6	3,920	3,892	-28	-0.7
पश्चिम बंगाल	47,086	46,827	-259	-0.6	7,544	7,524	-20	-0.3
सिक्किम	399	399	0	0.0	83	83	0	0.0
अंडमान-निकोबार #	240	180	-60	-25	40	32	-8	-20
पूर्वी क्षेत्र	1,19,082	1,17,155	-1,927	-1.6	17,040	16,932	-108	-0.6
अरुणाचल प्रदेश	677	610	-67	-9.9	139	126	-13	-9.4
असम	8,527	7,926	-601	-7.0	1,450	1,257	-193	-13.3
मणिपुर	705	678	-27	-3.8	150	146	-4	-2.7
मेघालय	1,930	1,634	-296	-15.3	370	367	-3	-0.8
मिजोरम	455	425	-30	-6.6	90	88	-2	-2.2
नागालैंड	688	661	-27	-3.9	140	128	-12	-8.6
त्रिपुरा	1,242	1,048	-194	-15.6	310	266	-44	-14.2
पूर्वांचल क्षेत्र	14,224	12,982	-1,242	-8.7	2,528	2,202	-326	-12.9
अखिल भारत	10,68,923	10,30,785	-38,138	-3.6	1,48,166	1,41,160	-7,006	-4.7

लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार एकल प्रणाली हैं, इन क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और उपलब्धता का हिस्सा नहीं है।

टिप्पणी : अप्रैल-मई, 2014 की अवधि के लिए आंध्र प्रदेश के लिए ऊर्जा आंकड़ों में अविभाजित आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र सहित) के आंकड़े शामिल हैं। तेलंगाना के ऊर्जा आंकड़े जून, 2014 से प्रभावी हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए व्यस्ततम आंकड़े जून, 2014 से प्रभावी हैं। यह जून 2014 से आंध्र प्रदेश के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में द्विभाजन के कारण है।

2015-16 के लिए विद्युत आपूर्ति की स्थिति								
राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	ऊर्जा				व्यस्ततम			
	अप्रैल, 2015 - मार्च, 2016				अप्रैल, 2015 - मार्च, 2016			
	आवश्यकता (एमयू)	उपलब्धता (एमयू)	आधिक्य / कमी(-) (एमयू) (%)		व्यस्ततम मांग (मेगावाट)	व्यस्ततम आपूर्ति (मेगावाट)	आधिक्य/कमी(-) (मेगावाट) (%)	
चंडीगढ़	1,607	1,607	0	0	342	342	0	0
दिल्ली	29,626	29,583	-43	-0.1	5,846	5,846	0	0.0
हरियाणा	47,506	47,437	-69	-0.1	9,113	9,113	0	0.0
हिमाचल प्रदेश	8,821	8,758	-63	-0.7	1,488	1,488	0	0.0
जम्मू एवं कश्मीर	16,572	14,037	-2,535	-15.3	2,544	2,158	-386	-15.2
पंजाब	49,687	49,675	-12	0.0	10,852	10,852	0	0.0
राजस्थान	67,417	67,205	-212	-0.3	10,961	10,961	0	0.0
उत्तर प्रदेश	1,06,351	93,033	-13,318	-12.5	16,988	14,503	-2,485	-14.6
उत्तराखण्ड	12,889	12,675	-214	-1.7	2,034	2,034	0	0.0
उत्तरी क्षेत्र	3,40,476	3,24,009	-16,467	-4.8	54,474	50,622	-3,852	-7.1
छत्तीसगढ़	25,649	25,309	-340	-1.3	3,932	3,757	-175	-4.5
गुजरात	1,03,544	1,03,540	-4	0.0	14,495	14,448	-47	-0.3
मध्य प्रदेश	62,374	62,374	0	0.0	10,902	10,902	0	0.0
महाराष्ट्र	1,41,817	1,41,361	-456	-0.3	20,973	20,594	-379	-1.8
दमन एवं दीव	2,337	2,337	0	0.0	307	307	0	0.0
दादर नगर हवेली	5,925	5,925	0	0.0	740	740	0	0.0
गोवा	5,120	5,119	-1	0.0	583	552	-31	-5.3
पश्चिमी क्षेत्र	3,46,768	3,45,966	-802	-0.2	48,640	48,199	-441	-0.9
आंध्र प्रदेश	50,436	50,366	-70	-0.1	7,400	7,391	-9	-0.1
तेलंगाना	50,254	49,948	-306	-0.6	6,854	6,849	-5	-0.1
कर्नाटक	64,302	60,971	-3,331	-5.2	10,202	9,508	-694	-6.8
केरल	23,318	23,194	-124	-0.5	3,977	3,856	-121	-3.1
तमिलनाडु	97,276	96,586	-690	-0.7	14,190	14,171	-19	-0.1
पुडुचेरी	2,437	2,429	-8	-0.3	368	352	-16	-4.3
लक्षदीप#	48	48	0	0	8	8	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	2,88,025	2,83,494	-4,531	-1.6	40,030	39,875	-155	-0.4
बिहार	23,961	23,659	-302	-1.3	3,735	3,484	-251	-6.7
डीवीसी	18,437	18,234	-203	-1.1	2,814	2,794	-20	-0.7
झारखण्ड	7,735	7,561	-174	-2.2	1,153	1,153	0	0.0
ओडिशा	26,762	26,600	-162	-0.6	4,091	4,091	0	0.0
पश्चिम बंगाल	47,359	47,194	-165	-0.3	7,905	7,885	-20	-0.3
सिक्किम	399	399	0	0.0	109	109	0	0.0
अंडमान-निकोबार#	240	180	-60	-25	40	32	-8	-20
पूर्वी क्षेत्र	1,24,654	1,23,646	-1,008	-0.8	18,169	18,056	-113	-0.6
अरुणाचल प्रदेश	626	591	-35	-5.6	139	135	-4	-2.9
असम	8,762	8,272	-490	-5.6	1,491	1,378	-113	-7.6
मणिपुर	840	810	-30	-3.6	168	167	-1	-0.6
मेघालय	1,833	1,725	-108	-5.9	400	377	-23	-5.8
मिजोरम	471	455	-16	-3.4	102	101	-1	-1.0
नागालैण्ड	755	739	-16	-2.1	140	138	-2	-1.4
त्रिपुरा	1,202	1,146	-56	-4.7	300	269	-31	-10.3
पूर्वांतर क्षेत्र	14,488	13,735	-753	-5.2	2,573	2,367	-206	-8.0
अखिल भारत	11,14,408	10,90,850	-23,558	-2.1	1,53,366	1,48,463	-4,903	-3.2

लक्षदीप और अंडमान एवं निकोबार एकल प्रणाली हैं, इन क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और उपलब्धता का हिस्सा नहीं है।

2016-17 के लिए विद्युत आपूर्ति स्थिति (अंतिम)								
राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	ऊर्जा				व्यस्ततम			
	अप्रैल, 2016 - जून, 2016				अप्रैल, 2016 - जून, 2016			
	आवश्यकता (एमयू)	उपलब्धता (एमयू)	आधिक्य / कमी(-) (एमयू) (%)		व्यस्ततम मांग (मेगावाट)	व्यस्ततम आपूर्ति (मेगावाट)	आधिक्य/कमी(-) (मेगावाट) (%)	
चंडीगढ़	489	489	0	0	361	361	0	0
दिल्ली	9,413	9,397	-16	-0.2	6,308	6,260	-48	-0.8
हरियाणा	12,611	12,611	0	0.0	8,763	8,763	0	0.0
हिमाचल प्रदेश	2,169	2,156	-13	-0.6	1,330	1,330	0	0.0
जम्मू एवं कश्मीर	4,403	3,600	-803	-18.2	2,478	2,102	-376	-15.2
पंजाब	14,081	14,081	0	0.0	10,972	10,972	0	0.0
राजस्थान	17,190	17,168	-22	-0.1	9,906	9,906	0	0.0
उत्तर प्रदेश	28,155	27,256	-899	-3.2	16,081	15,501	-580	-3.6
उत्तराखण्ड	3,405	3,380	-25	-0.7	2,020	1,945	-75	-3.7
उत्तरी क्षेत्र	91,917	90,139	-1,778	-1.9	52,726	51,086	-1,640	-3.1
छत्तीसगढ़	6,164	6,140	-24	-0.4	3,875	3,851	-25	-0.6
गुजरात	28,292	28,292	0	0.0	14,724	14,708	-16	-0.1
मध्य प्रदेश	15,428	15,427	-1	0.0	8,145	8,111	-34	-0.4
महाराष्ट्र	36,650	36,613	-37	-0.1	20,057	20,021	-36	-0.2
दमन एवं दीव	595	595	0	0.0	304	304	0	0.0
दादर नगर हवेली	1,524	1,524	0	0.0	781	781	0	0.0
गोवा	1,271	1,269	-2	-0.2	497	496	-1	-0.3
पश्चिमी क्षेत्र	89,925	89,862	-63	-0.1	45,369	44,957	-412	-0.9
आंध्र प्रदेश	13,162	13,127	-35	-0.3	7,576	7,361	-215	-2.8
तेलंगाना	12,043	12,039	-4	0.0	6,935	6,894	-41	-0.6
कर्नाटक	16,291	16,063	-228	-1.4	9,980	9,551	-428	-4.3
केरल	6,296	6,277	-19	-0.3	4,132	3,996	-135	-3.3
तमिलनाडु	27,375	27,367	-8	0.0	14,823	14,823	0	0.0
पुडुचेरी	677	676	-1	-0.1	371	368	-3	-0.7
लक्षदीप#	12	12	0	0	8	8	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	75,845	75,549	-296	-0.4	40,752	40,472	-280	-0.7
बिहार	6,848	6,705	-143	-2.1	3,662	3,638	-24	-0.7
झीवीसी	4,626	4,599	-27	-0.6	2,562	2,562	0	0.0
झारखण्ड	2,040	2,034	-6	-0.3	1,498	1,498	0	0.0
ओडिशा	7,186	7,184	-2	0.0	4,012	4,012	0	0.0
पश्चिम बंगाल	13,175	13,128	-47	-0.4	8,073	8,049	-24	-0.3
सिक्किम	124	124	0	0.0	112	112	0	0.0
अंडमान-निकोबार#	60	45	-15	-25	40	32	-8	-20
पूर्वी क्षेत्र	34,000	33,775	-225	-0.7	18,642	18,596	-46	-0.2
अरुणाचल प्रदेश	165	160	-5	-3.0	141	139	-2	-1.4
असम	2,221	2,092	-129	-5.8	1,511	1,458	-53	-3.5
मणिपुर	171	163	-8	-4.7	152	151	-1	-0.7
मेघालय	392	392	0	0.0	311	311	0	0.0
मिजोरम	119	116	-3	-2.5	88	88	0	0.0
नागालैण्ड	168	164	-4	-2.4	119	119	0	0.0
त्रिपुरा	423	412	-11	-2.6	275	273	-2	-0.6
पूर्वांचल क्षेत्र	3,659	3,498	-161	-4.4	2,487	2,475	-12	-0.5
अखिल भारत	2,95,344	2,92,822	-2,522	-0.9	1,52,974	1,49,971	-3,003	-2.0

लक्षदीप और अंडमान एवं निकोबार एकल प्रणाली हैं, इन क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और उपलब्धता का हिस्सा नहीं है।

अनुबंध-II

"विद्युत का आबंटन" के बारे में लोक सभा में दिनांक 28.07.2016 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 164 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध।

केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों से मांग (ऊर्जा आवश्यकता), पात्रता, अनुसूची

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	2013-14			2014-15			2015-16			2016-17		
	मांग (ऊर्जा आवश्यकता)	सीजीएस से पात्रता	सीजीएस से अनुसूची	मांग (ऊर्जा आवश्यकता)	सीजीएस से पात्रता	सीजीएस से अनुसूची	मांग (ऊर्जा आवश्यकता)	सीजीएस से पात्रता	सीजीएस से अनुसूची	मई तक मांग (ऊर्जा आवश्यकता)	मई तक सीजीएस से पात्रता	मई तक सीजीएस से अनुसूची
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)
चंडीगढ़	1,574	1111.409	903	1,616	959.855	844	1,607	1108.19	991.57	304	184.03	177.58
दिल्ली	26,867	26223.246	20595.7	29,231	22861.784	19,080	29,626	27963.58	19520.72	5,915	5079.50	3721.59
हरियाणा	43,463	16542.002	10654.1	46,615	17125.05	12,094	47,506	19905.22	13225.44	7,813	2949.68	2382.44
हिमाचल प्रदेश	9,089	5833.127	5269.5	8,807	6230.288	5,771	8,821	7149.48	6800.19	1,422	1250.72	1251.39
जम्मू व कश्मीर	15,613	9993.901	9132.1	16,214	11115.208	9,976	16,572	12262.03	10636.01	2,972	2219.10	1915.91
पंजाब	47,821	18231.42	15477.7	48,629	20311.987	17,675	49,687	23104.12	18790.36	8,115	3518.13	3058.34
राजस्थान	58,202	18327.575	15682.6	65,717	19000.154	16,423	67,417	21496.29	17800.98	11,268	3467.01	2859.34
उत्तर प्रदेश	94,890	36319.346	33173.0	1,03,179	38043.554	35,786	106,351	42911.29	39718.29	18,510	6716.57	6063.59
उत्तराखंड	11,944	5185.7	4732.7	12,445	5272.052	4,751	12,889	6138.78	5536.44	2,240	1010.22	891.75
छत्तीसगढ़	18,932	8353.5	7286.5	21,499	8725.7	7,777	25,649	8889.45	7474.19	4,291	1558.25	1431.24
गुजरात	88,497	36616.9	27037.7	96,235	38047.6	31,956	103,544	39269.86	32370.59	18,923	6425.02	6093.07
मध्य प्रदेश	49,410	26137.5	22110.3	53,374	32030.4	28,809	62,374	41063.97	35878.95	10,798	7240.35	6216.28
महाराष्ट्र	1,26,288	47994.3	36318.8	1,34,897	44722.3	34,461	141,817	42319.69	33618.60	25,180	7328.21	6803.55
दमन व दीव	2,252	2525.9	1897.0	2,086	2336.1	1,832	2,337	2365.01	1868.65	398	395.27	329.98
दादर व नागर हवेली	5,390	5349	4229.4	5,307	5299.4	4,101	5,925	5499.26	3811.64	1,012	933.91	821.86
गोवा	3,890	3722.5	3396.1	3,969	3688.6	3,403	5,120	3762.06	3423.26	851	624.39	594.39
आंध्र प्रदेश	95,662	26667.99	25911.1	59,198	16602.116	16,115	50,436	13490.99	12476.72	9,173	2355.93	2237.53
तेलंगाना	-	-	-	43,337	12916.18	12,554	50,254	16802.11	14890.68	8,348	2644.52	2412.36
कर्नाटक	64,150	12930.985	12324.7	62,643	14443.578	14,148	64,302	16553.66	15666.53	11,789	3323.32	3104.09
केरल	21,577	12007.312	10038.5	22,459	13555.634	11,540	23,318	14421.70	11595.43	4,523	2390.84	1903.56
तमिलनाडु	93,508	24251.355	24142.0	95,758	27328.433	26,960	97,276	30259.06	29716.64	18,755	6127.38	5888.67
पुडुचेरी	2,344	2519.24	2432.2	2,402	2413.06	2,338	2,437	2670.32	2423.49	462	508.66	476.22
बिहार	15,391	12735.87	12735.9	19,294	12905.26	12,735	23,961	16330.12	15949.85	4,724	2781.20	2726.57
डीवीसी	17,407	1003.83	1003.8	18,222	1286.18	1,229	18,437	1163.23	1106.94	3,092	168.33	173.93
झारखंड	7,143	2737.65	2737.7	7,599	2801.92	2,718	7,735	3392.94	3096.47	1,426	501.97	512.74
ओडिशा	24,958	7312.74	7312.7	26,482	8244.42	7,784	26,762	8935.92	7448.19	4,878	1509.07	1460.11
पश्चिम बंगाल	42,891	6337.82	6337.8	47,086	7297.88	6,822	47,359	8030.91	6809.62	8,571	1023.56	731.11
सिक्किम	413	765.46	765.5	399	838.72	780	399	973.82	773.25	80	162.73	118.27
अरुणाचल प्रदेश	552	480.189	467	677	480.158	464	626	621.17	601.71	108	120.25	116.89
असम	7,544	3837.579	3727.0	8,527	4275.929	4,111	8,762	5101.74	4231.95	1,367	982.10	836.99
मणिपुर	579	579.779	563.7	705	537.2	518	840	778.09	747.60	112	162.25	153.12
मेघालय	1,794	1033.235	688.4	1,930	978.475	865	1,833	1024.14	937.15	250	198.06	106.26
मिजोरम	446	327.873	317.4	455	336.339	323	471	427.88	409.57	80	87.76	82.21
नागालैंड	577	459.387	446.6	688	446.531	432	755	559.51	532.42	109	104.25	97.45
त्रिपुरा	1,195	603.559	584.5	1,242	1033.515	987	1,202	1416.20	1360.63	250	264.19	246.11

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-168

जिसका उत्तर 28 जुलाई, 2016 को दिया जाना है ।

अकार्यात्मक विद्युत संयंत्र

*168. श्री उदय प्रताप सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने देश में बंद अकार्यात्मक/अवनिर्धारित विद्युत संयंत्रों का कोई आकलन किया है;
- (ख) यदि हां, तो ऐसे विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विद्युत उत्पादन में हुए घाटे का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार का विचार इन विद्युत संयंत्रों के पुनरुद्धार हेतु कोई योजना बनाने का है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"अकार्यात्मक विद्युत संयंत्र" के बारे में लोक सभा में दिनांक 28.07.2016 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 168 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) से प्राप्त सूचना के आधार पर बंद/अकार्यात्मक कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों, स्ट्रैंडेड गैस आधारित विद्युत संयंत्रों तथा निर्धारित क्षमता से कम उत्पादन कर रहे संयंत्रों की सूची क्रमशः अनुबंध-I, II तथा III पर संलग्न है।

विद्युत का उत्पादन, विद्युत-माँग पर निर्भर करता है। एक विद्युत संयंत्र के बंद होने से हो रही उत्पादन हानि को अन्य विद्युत संयंत्रों से उत्पादन बढ़ाकर पूरा किया जाता है। किसी संयंत्र के बंद होने से, यदि कोई विद्युत उत्पादन हानि हो, तो उसका वास्तविक मूल्यांकन करना संभव नहीं होता है। इस समय, कुछ विद्युत संयंत्रों के अकार्यात्मक होने/बंद होने/निर्धारित क्षमता से कम उत्पादन करने के बावजूद प्रणाली में विद्युत उत्पादन की कोई कमी नहीं है क्योंकि देश में पर्याप्त उत्पादन क्षमता उपलब्ध है।

(ग) और (घ) : इन विद्युत संयंत्रों के पुनरुद्धार के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं जिनमें देश में विद्युत की माँग में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदम शामिल हैं:

- (i) देश में स्ट्रैंडेड गैस आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता का पुनरुद्धार करने तथा उसके उपयोग में सुधार लाने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के लिए गैस आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता के उपयोग की एक स्कीम संस्वीकृत की है। इस स्कीम में रिवर्स ई-बोली प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए स्ट्रैंडेड गैस आधारित संयंत्रों तथा घरेलू गैस प्राप्त कर रहे संयंत्रों को आयातित स्पॉट आरएलएनजी की आपूर्ति की परिकल्पना की गई है। इस स्कीम में सभी पणधारकों द्वारा सामूहिक रूप से हानि उठाए जाने तथा पीएसडीएफ (विद्युत प्रणाली विकास निधि) से सहायता की परिकल्पना की गई है। पीएसडीएफ से सहायता के लिए परिव्यय 7500 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है (वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के लिए क्रमशः 3500 करोड़ रुपए तथा 4000 करोड़ रुपए)।
- (ii) विद्युत संयंत्रों को घरेलू कोयले की आपूर्ति में सुधार: वर्ष 2015-16 के दौरान विद्युत संयंत्रों को घरेलू कोयले की आपूर्ति में लगभग 6.2% की वृद्धि हुई है। दिनांक 24.07.2016 की स्थिति के अनुसार, विद्युत संयंत्रों में 31.3 मिलियन टन (एमटी) कोयले का भंडार है जोकि औसतन विद्युत संयंत्रों के 23 दिनों के प्रचालन के लिए पर्याप्त है जबकि मानक भंडार 21 दिन का होता है। इस समय, किसी भी विद्युत स्टेशन में कोयला भंडार नाजुक स्थिति में नहीं है।
- (iii) सरकार ने कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के तहत नीलामी/आवंटन के माध्यम से, आज की तारीख तक, विद्युत क्षेत्र के लिए 47 ब्लॉकों का पुनः आवंटन सुनिश्चित किया है जिससे लगभग 50,000 मेगावाट क्षमता की सहायता प्राप्त होगी।
- (iv) सरकार ने विद्युत क्षेत्र के लिए पृथक ई-नीलामी विंडो व्यवस्था शुरू की है जिसके अंतर्गत सीआईएल सिर्फ विद्युत क्षेत्र के लिए ही नियमित अंतरालों पर पर्याप्त मात्रा पेश करते हुए

सतत् आधार पर कोयले की आगे की ई-नीलामी का कार्य करने की व्यवस्थाएँ कर रहा है ताकि विद्युत संयंत्रों को नियमित आधार पर कोयला उपलब्ध करवाया जाए।

- (v) सरकार ने दिनांक 08.02.2016 को, केंद्र तथा राज्यों के सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र तथा गैर-विद्युत क्षेत्र दोनों) के, कोयले का अंतिम रूप से उपयोग करने वाले विनिर्दिष्ट संयंत्रों को ब्रिज लिंकेज प्रदान करने के नीतिगत दिशा-निर्देश अधिसूचित किए हैं जिन्हें कोयला खान अथवा ब्लॉक आवंटित किए गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं के लिए निर्धारित प्रपत्र में ब्रिज लिंकेज आवेदन-पत्र अनुमोदित कर दिए गए हैं।
- (vi) सरकार ने विद्युत उत्पादन लागत में कमी लाने के लिए घरेलू कोयले के उपयोग में लचीलापन लाने का अनुमोदन कर दिया है।
- (vii) जल की कमी के मामले का समाधान करने के लिए भारत सरकार ने दिनांक 28.01.2016 को नई प्रशुल्क नीति अधिसूचित की है जिसमें यह अधिदेशित किया गया है कि नगरपालिका/स्थानीय निकाय/समान संगठन के मल-जल उपचार संयंत्र से 50 किलोमीटर के दायरे के भीतर आने वाले मौजूदा संयंत्रों सहित ताप विद्युत संयंत्र, मल-जल उपचार संयंत्र से उनकी निकटता के क्रम में, इन निकायों द्वारा उत्पादित शोधित मल-जल का अनिवार्य रूप से प्रयोग करेंगे तथा इस कारण संबद्ध लागत को प्रशुल्क में पास थू की अनुमति होगी।
- (viii) भारत सरकार ने 12वीं योजना के दौरान अर्थात् 2016-17 तक 107440 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइनों के निर्माण तथा 2,82,740 एमवीए ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता की स्थापना करने की योजना बनाई है। इसमें से, दिनांक 30 जून, 2016 तक, 89,813 सर्किट किलोमीटर की पारेषण लाइनों का निर्माण तथा 2,66,033 एमवीए की ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता की स्थापना कर दी गई है।
- (ix) भारत सरकार ने राज्यों के साथ भागीदारी करके सभी के लिए 24x7 विद्युत प्रदान करने के लिए राज्य विशिष्ट कार्य योजना तैयार करने की पहल की है।
- (x) पर्याप्त एवं विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति प्रदान करने तथा लाइन की हानियों में कमी लाने के लिए भारत सरकार द्वारा उप-पारेषण तथा वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण के लिए और कृषि फीडर्स के पृथक्करण के लिए दो नई स्कीमें अर्थात् दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) कार्यान्वित की जा रही है।
- (xi) केंद्र सरकार ने दिनांक 20.11.2015 को डिस्कॉमों के प्रचालनात्मक और वित्तीय कायाकल्प के लिए एक नई स्कीम अर्थात् उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) अधिसूचित की है।

"अकार्यात्मक विद्युत संयंत्र" के बारे में लोक सभा में दिनांक 28.07.2016 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 168 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित अनुबंध।

वर्ष 2013-14 के दौरान बंद किए गए/अकार्यात्मक कोयला आधारित विद्युत संयंत्र

यूटिलिटी का नाम	स्टेशन का नाम	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार क्षमता
एसवीपीपीएल	एसवीपीएल टीपीपी	63
वीईएसपीएल	काटघोरा टीपीपी	35
बीएसईबी	बरौनी टीपीएस	210
केडब्ल्यूपीसीएल	अवंथा भंडार	600
एमएनईपीएल	मिहान टीपीएस	246
जीईपीएल	जीईपीएल टीपीपी फेज-1	120
रत्न इंडिया	नासिक (पी) टीपीएस	270
आईईपीएल	बेला टीपीएस	270

वर्ष 2014-15 के दौरान बंद किए गए/अकार्यात्मक कोयला आधारित विद्युत संयंत्र

यूटिलिटी का नाम	स्टेशन का नाम	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार क्षमता
सीएसपीजीसीएल	मारवा टीपीएस	500
केडब्ल्यूपीसीएल	अवंथा भंडार	600
एसवीपीपीएल	एसवीपीएल टीपीपी	63
वीईएसपीएल	काटघोरा टीपीपी	35
एमएनईपीएल	मिहान टीपीएस	246
जीईपीएल	जीईपीएल टीपीपी फेज-1	120
रत्न इंडिया	नासिक (पी) टीपीएस	270
आईईपीएल	बेला टीपीएस	270
बीएसईबी	बरौनी टीपीएस	210

वर्ष 2015-16 के दौरान बंद किए गए/अकार्यात्मक कोयला आधारित विद्युत संयंत्र

यूटिलिटी का नाम	स्टेशन का नाम	30.06.2016 की स्थिति के अनुसार क्षमता (मेगावाट)
एसवीपीपीएल	एसवीपीएल टीपीपी	63
वीईएसपीएल	काटघोरा टीपीपी	35
वीवीएल	सलोरा टीपीपी	135
एसीबी	स्वास्तिक कोरबा टीपीपी	25
आईपीजीपीसीएल	राजघाट टीपीएस	135
आईईपीएल	बेला टीपीएस	270
जीईपीएल	जीईपीएल टीपीपी फेज-1	120
एमएनईपीएल	मिहान टीपीएस	246
रत्न इंडिया	नासिक (पी) टीपीएस	270
महाजैनको	पाली टीपीएस	1380

वर्ष 2016-17 के दौरान बंद किए गए/अकार्यात्मक कोयला आधारित विद्युत संयंत्र (जून, 2016 तक)

यूटिलिटी का नाम	स्टेशन का नाम	30.06.2016 की स्थिति के अनुसार क्षमता (मेगावाट)
बीआरबीसीएल	नबीनगर टीपीपी	250
बीएसईबी	बरौनी टीपीएस	210
वीईएसपीएल	काटघोरा टीपीपी	35
वीवीएल	सलोरा टीपीपी	135
एसीबी	स्वास्तिक कोरबा टीपीपी	25
आईपीजीपीसीएल	राजघाट टीपीएस	135
टोर पावर	साबरमती सी स्टेशन	60
आईईपीएल	बेला टीपीएस	270
जीईपीएल	जीईपीएल टीपीपी फेज-1	120
एमएनईपीएल	मिहान टीपीएस	246
रत्न इंडिया	नासिक (पी) टीपीएस	270
महाजैनको	पाली टीपीएस	1380

"अकार्यात्मक विद्युत संयंत्र" के बारे में लोक सभा में दिनांक 28.07.2016 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 168 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित अनुबंध।

गैस की कमी के कारण स्टैंडर्ड गैस आधारित क्षमता की सूची

क्रम सं.	विद्युत स्टेशन का नाम	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	राज्य का नाम
केंद्रीय क्षेत्र			
1	रत्नागिरी (आरजीपीपीएल-दाभोल)	1967	महाराष्ट्र
	कुल (सीएस)	1967	
राज्य क्षेत्र			
2	प्रगति सीसीजीटी-III	750	दिल्ली
3	धुवरन सीसीपीपी (जीएसईसीएल)	112	गुजरात
4	उतरन सीसीपीपी (जीएसईसीएल)	374	गुजरात
5	पीपीवाव सीसीपीपी	702	गुजरात
6	धुवरन सीसीपीपी (जीएसईसीएल)	376.3	गुजरात
7	हजीरा सीसीपीपी एक्सटें.	351	गुजरात
	कुल (एसएस)	2665.3	
	कुल (सार्वजनिक)	4632.3	
निजी क्षेत्र			
1	वटवा सीसीपीपी (टोरेंट)	100	गुजरात
2	रिठाला सीसीपीपी (एनडीपीएल)	108	दिल्ली
3	एस्सार सीसीपीपी**	300	गुजरात
4	यूनोसुजैन सीसीपीपी	382.5	गुजरात
5	डीजीईएन मेगा सीसीपीपी	1200	गुजरात
6	गौतमी सीसीपीपी	464	आंध्र प्रदेश
7	जीएमआर - काकीनाडा (तनीरवावी)	220	आंध्र प्रदेश
8	जेगुरुपडु सीसीपीपी (जीवीके)	220.5	आंध्र प्रदेश
9	कोनासीमा सीसीपीपी	445	आंध्र प्रदेश
10	कोंडापल्ली एक्सटें. सीसीपीपी	366	आंध्र प्रदेश
11	वेमागिरी सीसीपीपी	370	आंध्र प्रदेश
12	श्रीबा इण्डस्ट्रीज	30	आंध्र प्रदेश
13	आरवीके एनर्जी	28	आंध्र प्रदेश
14	सिल्क रोड शुगर	35	आंध्र प्रदेश
15	एलवीएस पावर	55	आंध्र प्रदेश
16	जीएमआर वेमागिरी एक्सपें.	768	आंध्र प्रदेश
17	कोंडापल्ली एक्सटें. सीसीपीपी -III	742	आंध्र प्रदेश
18	समलकोट एक्सपें.	2400	आंध्र प्रदेश
19	पांडुरंगा द्वारा सीसीजीटी	116	आंध्र प्रदेश
20	आस्था द्वारा गैस इंजन	35	तेलंगाना
21	काशीपुर श्रावन्थी स्टेज-I व II	450	उत्तराखण्ड
22	बेटा इंफ्राटेक सीसीजीटी	225	उत्तराखण्ड
23	गामा इंफ्राप्रोप सीसीजीटी	225	उत्तराखण्ड
24	पायोनियर गैस पावर लि. द्वारा सीसीजीटी	388	महाराष्ट्र
	कुल (निजी)	9673	
	कुल	14305.3	

** कृपया नोट करें कि 515 मेगावाट की कुल क्षमता में से, 300 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति ग्रिड को की जा रही है तथा शेष 215 मेगावाट का प्रयोग कैप्टिव उत्पादन के रूप में किया जा रहा है।

"अकार्यात्मक विद्युत संयंत्र" के बारे में लोक सभा में दिनांक 28.07.2016 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 168 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित अनुबंध।

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष (30 जून, 2016 की स्थिति के अनुसार) के दौरान निर्धारित क्षमता से कम उत्पादन वाली यूनिटें

क्रम सं.	स्टेशन/संयंत्र का नाम	राज्य	यूनिट सं.	विगत संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	को पत्र जारी किया गया
1	तालचर थर्मल पावर स्टेशन ओल्ड	ओडिशा	1	62.50	60.00	जनवरी, 2014
2	तालचर थर्मल पावर स्टेशन ओल्ड	ओडिशा	2	62.50	60.00	जनवरी, 2014
3	तालचर थर्मल पावर स्टेशन ओल्ड	ओडिशा	3	62.50	60.00	जनवरी, 2014
4	तालचर थर्मल पावर स्टेशन ओल्ड	ओडिशा	4	62.50	60.00	जनवरी, 2014
5	बैरा सिउल हाइड्रो पावर स्टेशन	हिमाचल प्रदेश	1	66.00	60.00	जनवरी, 2014
6	बैरा सिउल हाइड्रो पावर स्टेशन	हिमाचल प्रदेश	2	66.00	60.00	जनवरी, 2014
7	बैरा सिउल हाइड्रो पावर स्टेशन	हिमाचल प्रदेश	3	66.00	60.00	जनवरी, 2014

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1852
जिसका उत्तर 28 जुलाई, 2016 को दिया जाना है ।

उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेन्स योजना में निजी भागीदारी

1852. श्रीमती बुत्ता रेणुका:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेन्स योजना में शामिल होने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार यूडीएवाई योजना के अंतर्गत निजी विद्युत वितरण कंपनियों को लाभ देने हेतु उन्हें आमंत्रित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यूडीएवाई योजना के अंतर्गत निजी कंपनियों को पेशकश किए गए लाभों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : अब तक चौदह राज्यों अर्थात् झारखण्ड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, हरियाणा, उत्तराखण्ड, गोआ, कर्नाटक, मणिपुर और आंध्र प्रदेश ने उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेन्स योजना (उदय) के अंतर्गत समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) और (ग) : इस समय की स्थिति के अनुसार, उदय योजना केवल राज्य स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) पर लागू होती हैं, इसलिए प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1854
जिसका उत्तर 28 जुलाई, 2016 को दिया जाना है।

विद्युत उत्पादन

1854. श्रीमती कमला पाटले:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या विभिन्न विद्युत संयंत्र अपनी अधिष्ठापित क्षमता की तुलना में विद्युत का कम उत्पादन कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इसके क्या कारण हैं;
- (ख) क्या केंद्र सरकार द्वारा उक्त संयंत्रों के कार्यकरण की समीक्षा की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) सरकार द्वारा उन विद्युत संयंत्रों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : विद्युत संयंत्र में विद्युत का उत्पादन संयंत्र भार कारक, ईंधन उपलब्धता, अनुसूचीकरण, पारेषण उपलब्धता इत्यादि पर निर्भर करता है। चालू वर्ष 2016-17 (अप्रैल-जून) के दौरान, विद्युत उत्पादन 296.48 बिलियन यूनिट था जो कि 9% की वृद्धि दर्शाता है। तथापि, कुछ विद्युत संयंत्रों ने अपने लक्ष्यों की तुलना में कम विद्युत उत्पादन किया है। ऐसे संयंत्रों के ब्यौरे अनुबंध पर दिए गए हैं।

कम विद्युत उत्पादन के कुछ प्रमुख कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ (i) मांग में वृद्धि की तुलना में तेज गति से अतिरिक्त उत्पादन क्षमता, (ii) अतिरिक्त गैस की अनुपलब्धता, (iii) डिस्कॉम की खराब वित्तीय स्थिति तथा (iv) जल की कम उपलब्धता, जिससे जल विद्युत संयंत्र प्रभावित होते हैं, इत्यादि शामिल हैं।

(ख) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) सभी उत्पादन संयंत्रों (25 मेगावाट से ज्यादा क्षमता वाले) के उत्पादन का दैनिक, मासिक तथा वार्षिक आधार पर प्रबोधन करता है। ऐसी रिपोर्टें सीईए की वेबसाइट पर भी डाली जाती हैं।

(ग) : उत्पादन में वृद्धि करने के लिए किए जाने वाले विभिन्न उपाय निम्नानुसार हैं:

- (i) देश में स्ट्रैंडेड गैस आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता को पुनः चालू करने तथा उसके प्रयोग में सुधार करने के लिए, भारत सरकार ने वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के लिए गैस आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता के उपयोग के लिए पीएसडीएफ (विद्युत प्रणाली विकास निधि) की सहायता से एक स्कीम संस्वीकृत की है। स्कीम में, रिवर्स ई-बोली प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए, स्ट्रैंडेड गैस आधारित संयंत्रों तथा साथ ही साथ घरेलू गैस प्राप्त कर रहे संयंत्रों को आयतित स्पॉट पुनःगैसीकृत तरलीकृत प्राकृतिक गैस (आरएलएनजी) की आपूर्ति परिकल्पित है।
- (ii) भारत सरकार द्वारा, विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के वित्तीय कार्याकल्प और प्रचालन संबंधी सुधारों की एक स्कीम उदय (उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना) अनुमोदित की जा चुकी है जिसका उद्देश्य राज्य डिस्कॉम की प्रचालनात्मक तथा वित्तीय दक्षता में सुधार लाना है जिससे वे उत्पादकों से विद्युत का प्रापण कर सकने में समर्थ होंगे और इस प्रकार से उनके संयंत्र भारकारक में वृद्धि होगी।
- (iii) राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से की गई पहल "सभी के लिए 24x7 विद्युत" से विद्युत पहुँच में वृद्धि होगी तथा तदनुसार विद्युत की मांग में भी वृद्धि होगी" जिससे विद्युत उत्पादन का प्रयोग बढ़ेगा।

लोक सभा में दिनांक 28.07.2016 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1854 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

अप्रैल से जून ,2016 के दौरान लक्ष्य की तुलना में विद्युत संयंत्रों से कम विद्युत की सूची				
स्टेशन का नाम	30.06.2016 की स्थिति के अनुसार निगरानी की गई क्षमता	लक्ष्य (अप्रैल-जून, 2016)	वास्तविक उत्पादन (अप्रैल-जून, 2016)	लक्ष्य %
अलियन दुहागांन एचपीएस	192	227	215.22	-5.19
	192	227	215.22	-5.19
श्रीनगर एचपीएस	330	395	301.31	-23.72
श्रीसैलम एचपीएस	770	104	6.75	-93.51
अपर सिलेरू एचपीएस	240	98	37.05	-62.19
गंगुवाल एचपीएस	77.65	98	97.88	-0.12
हसदियोबांगो एचपीएस	120	40	29.19	-27.03
जोरथांग लूप	96	115	78.03	-32.15
बंदारधारा एचपीएस स्टे.-II	34	13	4.59	-64.69
मैथॉन एचपीएस	63.2	18	2.36	-86.89
पंचेट एचपीएस	80	16	1.07	-93.31
मलानाII एचपीएस	100	114	112.42	-1.39
बुधहिल एचपीएस	70	111	79.15	-28.69
उकई एचपीएस	300	135	97.03	-28.13
बस्सी एचपीएस	60	106	98.39	-7.18
लारजी एचपीएस	126	223	207.85	-6.79
बगलीहार एचपीएस	450	920	753.71	-18.08
लोअर झेलम एचपीएस	105	199	145.27	-27.00
सुबर्णरेखा एचपीएस	130	4	0.19	-95.25
अमट्टी डीपीएच एचपीएस	290	2	0.55	-72.50
भद्रा एचपीएस	39.2	5	2.49	-50.20
गेरूसुप्पा एचपीएस	240	96	64.13	-33.20
कद्रा एचपीएस	150	56	37.78	-32.54
कालिंदी एचपीएस	855	543	377.08	-30.56
कोडासली एचपीएस	120	64	40.88	-36.13
शारावथी एचपीएस	1035	708	553.93	-21.76
शिवसमुद्रम एचपीएस	42	32	23.65	-26.09
वराही एचपीएस	460	236	206.77	-12.39
इदमलायर एचपीएस	75	82	55.64	-32.15
इदुक्की एचपीएस	780	689	488.17	-29.15
कक्कड़ी एचपीएस	50	55	42.37	-22.96
कुट्टीयाडी एचपीएस	125	137	87.24	-36.32
लोअर पेरियार एचपीएस	180	93	61.27	-34.12
नारीमंगलम एचपीएस	70	64	44.75	-30.08
पल्लीवसल एचपीएस	37.5	52	47.59	-8.48
पोरिंगलकुट्टु एचपीएस	32	29	11.51	-60.31
साबरीगिरी एचपीएस	300	368	260.6	-29.18
सैंगुलम एचपीएस	48	32	30.21	-5.59

शोलायर एचपीएस	54	61	60.86	-0.23
घाटघर पीएसएस एचपीएस	250	105	75.76	-27.85
कोयना-I एचपीएस	280	290	134.79	-53.52
कोयना-III एचपीएस	320	184	110.24	-40.09
कोयना-IV एचपीएस	1000	596	199.46	-66.53
तिल्लारी एचपीएस	60	22	20.17	-8.32
वैतर्णा एचपीएस	60	60	24.69	-58.85
किरदमकुलई एचपीएस	60	21	20.21	-3.76
मिंटडू (लेशका) स्टे-1 एचपीएस	126	108	102.23	-5.34
बनसागर टोन्स-II एचपीएस	30	13	7.97	-38.69
बारगी एचपीएस	90	95	70.77	-25.51
पेंच एचपीएस	160	47	22.12	-52.94
इंदिरा सागर एचपीएस	1000	340	327.59	-3.65
ओंकारेश्वर एचपीएस	520	186	175.23	-5.79
बैरा सिउल एचपीएस	180	277	231	-16.61
चमेरा-I एचपीएस	540	869	768.09	-11.61
चूटक एचपीएस	44	15	9.76	-34.93
पारबती-III एचपीएस	520	219	201.06	-8.19
रंगित एचपीएस	60	80	79.2	-1.00
सेवा-II एचपीएस	120	203	128.97	-36.47
टनकपुर एचपीएस	94.2	92	85.53	-7.03
तीस्ता लो डैम-III एचपीएस	132	152	146.16	-3.84
बालीमेला एचपीएस	510	321	176.74	-44.94
हीराकुंड एचपीएस	347.5	155	109.87	-29.12
मचकुंड एचपीएस	114.75	117	93.44	-20.14
रेंगाली एचपीएस	250	95	82.85	-12.79
आनंदपुर साहिब एचपीएस	134	192	191.04	-0.50
रंजित सागर एचपीएस	600	503	309.85	-38.40
शानन एचपीएस	110	211	150.76	-28.55
माही बजाज एचपीएस	140	20	4.75	-76.25
एस सरोवर सीएचपीएच एचपीएस	250	110	94.84	-13.78
भीरा एचपीएस	150	200	61.6	-69.20
भिवपुरी एचपीएस	75	85	39.9	-53.06
खोपोली एचपीएस	72	75	47.08	-37.23
कोटेश्वर एचपीएस	400	236	210.01	-11.01
टिहरी स्टे-1 एचपीएस	1000	438	408.88	-6.65
भवानी कट्टल	30	6	1.81	-69.83
कदमपरी एचपीएस	400	82	66.3	-19.15
कुंडहा एचपीएस	555	396	367.37	-7.23
लोअर मेडूर एचपीएस	120	24	8	-66.67
मेडूर डैम एचपीएस	50	19	13.04	-31.37
मोयार एचपीएस	36	39	29.04	-25.54
पार्सन्स वैली एचपीएस	30	9	8.64	-4.00
पेरियार एचपीएस	140	32	3.42	-89.31
पाईकारा एचपीएस	59.2	11	0.95	-91.36
शोलायर एचपीएस	95	30	8.37	-72.10
लोअर सिलेरू एचपीएस	460	255	117.46	-53.94
नागार्जुन एसजीआर एचपीएस	815.6	44	16.48	-62.55
छिन्नो (यमुना) एचपीएस	240	220	171.85	-21.89
चिल्ला एचपीएस	144	213	185.82	-12.76

खोदरी एचपीएस	120	102	81.57	-20.03
मनेरी भाली-1 एचपीएस	90	155	116.51	-24.83
रामगंगा एचपीएस	198	73	24.37	-66.62
खारा एचपीएस	72	85	59.73	-29.73
माताटीला एचपीएस	30.6	10	3.17	-68.30
ओबरा एचपीएस	99	36	22.31	-38.03
रिहंद एचपीएस	300	96	56.69	-40.95
पुरुलिया पीएसएस एचपीएस	900	357	265.68	-25.58
रम्माम एचपीएस	50	53	44.66	-15.74
कैगा	880	1636	1392.31	-14.90
मद्रास ए.पी.एस.	440	801	765.75	-4.40
राजस्थान ए.पी.एस.	1080	2006	1854.03	-7.58
तारापुर	1400	2635	2131.53	-19.11
कसाईपल्ली टीपीपी	270	498	455.08	-8.62
इंदिरा गांधी एसटीपीपी	1500	1871	1772.78	-5.25
डॉ. एन. टाटा राव टीपीएस	1760	3249	2966.85	-8.68
रायलसीमा टीपीएस	1050	1887	1775.21	-5.92
लकवा जीटी	157.2	222	220.73	-0.57
नामरूप सीसीपीपी	119	106	81	-23.58
तिरौरा टीपीएस	3300	4708	3002.82	-36.22
मुंद्रा यूएमटीपीपी	4000	6910	5419.02	-21.58
बोकारो 'बी' टीपीएस	630	510	442.56	-13.22
दुर्गापुर टीपीएस	340	282	128.11	-54.57
एमको वरौरा टीपीएस	600	972	577.33	-40.60
राईखेड़ा टीपीपी	1370	546	278.41	-49.01
अकरीमोता एलआईजी टीपीएस	250	400	345.01	-13.75
कमलंगा टीपीएस	1050	1655	1654.53	-0.03
उकई टीपीएस	1350	1513	1319.2	-12.81
हजीरा सीसीपीपी	156.1	29	24.22	-16.48
हल्दिया टीपीपी	600	1123	1077.7	-4.03
यमुना नगर टीपीएस	600	764	700.46	-8.32
तूतीकोरिन (पी) टीपीपी	300	187	23.62	-87.37
आई.पी. सीसीपीपी	270	179	174.54	-2.49
प्रगति सीसीजीटी-III	1500	439	391.37	-10.85
महात्मा गांधी टीपीएस	1320	1292	807.64	-37.49
ओपी ज़िंदल टीपीएस	1000	1268	1105.26	-12.83
तमनार टीपीपी	2400	1352	1070.19	-20.84
बीना टीपीएस	500	584	6.36	-98.91
पतरातु टीपीएस	770	150	121.8	-18.80
टोरंगल्लु टीपीएस (एसबीयू-I)	260	503	484.65	-3.65
टोरंगल्लु टीपीएस (एसबीयू-II)	600	1035	921.63	-10.95
कॉडापल्ली सीसीपीपी	350	151	113.52	-24.82
बेल्लारी टीपीएस	1700	1688	1589.88	-5.81
रायचूर टीपीएस	1720	2944	2575.27	-12.52
ब्रह्मपुरम डीजी	63.96	9	5.51	-38.78
चंद्रपुर (महाराष्ट्र) एसटीपीएस	3340	3415	3078.18	-9.86
कोराडी टीपीएस	2360	1593	1280.87	-19.59
बंदाखार टीपीपी	300	176	52.61	-70.11
सतपुरा टीपीएस	1330	1370	1012.99	-26.06
श्री सिंगाजी टीपीपी	1200	1556	258.63	-83.38

अगरतला जीटी	109.5	188	182.12	-3.13
मोनार्चक सीसीपीपी	101	76	12.9	-83.03
बरसिंगरसर लिग्नाइट	250	252	210.27	-16.56
नैवेली (एक्स.) टीपीएस	420	826	796.18	-3.61
नैवेली टीपीएस-I	600	1006	916.29	-8.92
नैवेली टीपीएस-II एक्सपे.	500	895	312.82	-65.05
वल्लूर टीपीपी	1500	2265	2005.68	-11.45
अंता सीसीपीपी	419.33	249	113.86	-54.27
औरैया सीसीपीपी	663.36	421	208.67	-50.43
बाढ़-II	1320	1924	1735.96	-9.77
दादरी (एनसीटीपीपी)	1820	2822	2530.91	-10.32
फरक्का एसटीपीएस	2100	3209	2903.68	-9.51
फरीदाबाद सीसीपीपी	431.59	279	270.51	-3.04
आर. गांधी सीसीपीपी (लिक्वि.)	359.58	136	15.4	-88.68
रामागुंडेम एसटीपीएस	2600	4951	4904.42	-0.94
सिम्हाद्री	2000	3813	3725.69	-2.29
सिंगरौली एसटीपीएस	2000	3748	3343.92	-10.78
ऊंचाहार टीपीएस	1050	1679	1674.97	-0.24
तूतीकोरिन (जेवी) टीपीपी	1000	1848	1464.6	-20.75
त्रिपुरा सीसीपीपी	726.6	997	953.01	-4.41
आईबी वैली टीपीएस	420	826	748.61	-9.37
रोपार टीपीएस	1260	1039	925.74	-10.90
अमरावती टीपीएस	1350	1753	1408.94	-19.63
रत्नागिरी सीसीपीपी-III	740	747	541.84	-27.46
दहानु टीपीएस	500	1077	885.09	-17.82
रोसा टीपीपी फेज-I	1200	2159	2072.25	-4.02
रामगढ़ सीसीपीपी	273.8	410	396.37	-3.32
सूरतगढ़ टीपीएस	1500	1639	1631.69	-0.45
जलीपा कपूर्दी टीपीपी	1080	1862	1633.21	-12.29
रतीजा टीपीएस	50	51	49.8	-2.35
स्टरलाइट टीपीपी	2400	2359	1987.29	-15.76
सिम्हापुरी टीपीएस	600	1086	855.38	-21.24
सासन यूएमटीपीपी	3960	8192	8003.49	-2.30
नैवेली टीपीएस (जेड)	250	461	336.66	-26.97
जोजोबेरा टीपीएस	360	638	568.49	-10.89
ट्रॉम्बे टीपीएस	1400	1522	1442.76	-5.21
एन्नोर टीपीएस	450	102	95.39	-6.48
कुट्टलम सीसीपीपी	100	141	83.41	-40.84
मेदूर टीपीएस	1440	2169	2155.04	-0.64
नॉर्थ चेन्नई टीपीएस	1830	2928	2920.84	-0.24
वलुथूर सीसीपीपी	186.2	199	166.86	-16.15
पैनमपुरम टीपीपी	1320	2244	1990.9	-11.28
बारामुरा जीटी	58.5	74	52.53	-29.01
कोथागुंडेम टीपीएस	720	1106	1069.76	-3.28
टेनुघाट टीपीएस	420	596	386.22	-35.20
हरदुआगंज टीपीएस	665	1191	1125.63	-5.49
ओबरा टीपीएस	1278	1068	1062.04	-0.56
पंकी टीपीएस	210	196	187.73	-4.22
वर्धा वरौरा टीपीपी	540	515	341.17	-33.75

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1859
जिसका उत्तर 28 जुलाई, 2016 को दिया जाना है ।

विद्युत संबंधी राजसहायता

1859. कुँवर सर्वेश कुमार:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पर्यावासों/गांवों को विद्युत कनेक्शन के साथ-साथ शत-प्रतिशत राजसहायता प्रदान करने की कोई योजना शुरू की है;
- (ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ग) इससे राज्य-वार कितने बीपीएल परिवार लाभान्वित हुए हैं/लाभान्वित होने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : भारत सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना प्रारंभ की है जिसमें फीडर पृथक्करण, उप-पारेषण एवं वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग सहित वितरण प्रणाली सुदृढीकरण, एवं ग्रामीण विद्युतीकरण शामिल है। स्कीम के अंतर्गत, गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन प्रदान किए जाते हैं। अब तक बीपीएल परिवारों को प्रदान किए गए निःशुल्क विद्युत कनेक्शनों की उत्तर प्रदेश सहित राज्य-वार संख्या अनुबंध में दी गई है।

लोक सभा में दिनांक 28.07.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1859 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को प्रदान किए गए निःशुल्क विद्युत कनेक्शनों की राज्य-वार संख्या

30.06.2016 की स्थिति के अनुसार

क्रम सं.	राज्य का नाम	लक्ष्य	संचयी उपलब्धि (राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार)
1	आंध्र प्रदेश	2457287	2372825
2	अरुणाचल प्रदेश	74679	51621
3	असम	1794578	1210198
4	बिहार	10660852	3479737
5	छत्तीसगढ़	1448997	1140046
6	गुजरात	848005	842945
7	हरियाणा	257902	198580
8	हिमाचल प्रदेश	19578	16290
9	जम्मू व कश्मीर	142172	68435
10	झारखंड	2027415	1274102
11	कर्नाटक	1036966	946539
12	केरल	192919	150305
13	मध्य प्रदेश	3209701	1570372
14	महाराष्ट्र	1621836	1221350
15	मणिपुर	137525	70307
16	मेघालय	125799	104383
17	मिजोरम	29710	29710
18	नागालैंड	98616	54559
19	ओडिशा	4506562	2771139
20	पंजाब	92988	92988
21	राजस्थान	1791656	1137322
22	सिक्किम	13601	13601
23	तमिलनाडु	526468	502082
24	तेलंगाना	1125306	708865
25	त्रिपुरा	208732	131998
26	उत्तर प्रदेश	5161785	1488657
27	उत्तराखंड	238404	237921
28	पश्चिम बंगाल	2480034	2195597
	सकल योग	42330073	24082474

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1867

जिसका उत्तर 28 जुलाई, 2016 को दिया जाना है ।

एलईडी का मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव

1867. श्री गोकाराजू गंगा राजू:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लाइट इमिटिंग डायोड (एलईडी) द्वारा उत्सर्जित अत्यधिक नीले प्रकाश का मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) क्या सरकार की एलईडी लाइट के संबंध में कोई प्रोत्साहन योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : एलईडी बल्ब नीली रोशनी के हानिकारक प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए आवश्यक सुरक्षा विशेषताओं अर्थात डिफ्यूजर्स के साथ-साथ फॉस्फोरस लेपन के साथ उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) विनिर्देशन आईएस:16108 में फोटो जैविक मानक शामिल किया जाता है जो कि सुनिश्चित करता है कि इसकी पुष्टि करने वाले एलईडी बल्ब मानव-नेत्रों पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं डालेंगे। विद्युत क्षेत्र के चार सार्वजनिक क्षेत्र (पीएसयू) की संयुक्त उद्यम कंपनी, एनर्जी एफिसिऐंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे 'सभी के लिए वहनीय एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति (उजाला)' कार्यक्रम के अंतर्गत वितरित एलईडी बल्ब बीआईएस की इस विनिर्दिष्टि की पुष्टि करते हैं। इस मुद्दे से सरकार की एलईडी लाइट्स की प्रोत्साहन स्कीम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1877

जिसका उत्तर 28 जुलाई, 2016 को दिया जाना है।

सभी गांवों के विद्युतीकरण हेतु योजना

1877. श्री हरीश मीना:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वर्ष 2017 तक सरकार की सभी गांवों के विद्युतीकरण कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या अतिरिक्त विद्युत क्षमता से राज्यों पर वित्तीय बोझ बढ़ा है क्योंकि बढ़ायी गयी क्षमता हेतु काफी कम मांग है, यदि हां, तो राजस्थान सहित गत दो वर्षों के दौरान राज्यों द्वारा उत्पादित अतिरिक्त विद्युत क्षमता का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) अतिरिक्त क्षमता बढ़ोत्तरी के कारण अनेक राज्यों द्वारा वहन किए जा रहे इस वित्तीय बोझ से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 01.04.2015 की स्थिति के अनुसार देश में 18,452 गैर-विद्युतीकृत जनगणना गाँव थे। 27.07.2016 की स्थिति के अनुसार इनमें से 9,176 गाँवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है शेष सभी गैर-विद्युतीकृत गाँव का विद्युतीकरण मई, 2018 तक करने का लक्ष्य है।

(ख) : उत्पादक स्टेशनों के प्रशुल्क के निर्धारण के लिए राज्य विद्युत विनियामक आयोग/केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के विनियमों में निर्धारित लागत तथा चलाने की लागत/ऊर्जा प्रभारों की वसूली के लिए; दो भागीय प्रशुल्क संरचना का प्रावधान है। विद्युत संयंत्रों के वाणिज्यिक प्रचालन शुरू होने के पश्चात् विद्युत प्राप्त नहीं कर रही तथा उत्पादक कंपनियों के साथ लागू विद्युत क्रय करार (पीपीए) धारक किसी भी वितरण कंपनी (डिस्कॉम) को निर्धारित प्रभार वहन करने पड़ेंगे चाहे डिस्कॉम इन स्टेशनों से मांगी गई विद्युत का प्रापण नहीं करते और इस प्रकार ये प्रभार राज्य डिस्कॉमों के लिए वित्तीय बोझ होंगे। उत्पादकों को डिस्कॉमों द्वारा इस प्रकार के प्रभारों का भुगतान नहीं करने से उत्पादकों पर वित्तीय हानि का बोझ होगा। राजस्थान सहित पिछले दो वर्षों के दौरान राज्यों द्वारा जोड़ी गई विद्युत उत्पादन क्षमता का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ग) : विद्युत का प्रापण उत्पादन क्षमता की अभिवृद्धि और विद्युत क्रय करार हस्ताक्षरित करना राज्य/डिस्कॉमों का उत्तरदायित्व है। अतिरिक्त क्षमता वाले राज्यों/डिस्कॉम विद्युत की कमी झेल रहे अन्य राज्यों/डिस्कॉमों के साथ द्विपक्षीय करार करने, विद्युत एक्सचेंजों में विद्युत के व्यापार तथा मांग को बढ़ाने के कार्यकलापों सहित कई उपाय अपना सकते हैं।

लोक सभा में दिनांक 28.07.2016 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1877 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

विगत दो वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में जोड़ी गई विद्युत उत्पादन क्षमता
(अप्रैल, 2014 से जून, 2016)

राज्य का नाम	परियोजना का नाम	कुल क्षमता (मेगावाट)
हिमाचल प्रदेश	कशांग एचईपी	65.00
हिमाचल प्रदेश कुल		65.00
जम्मू व कश्मीर	बगलीहार-II एचपीएस	150.00
		150.00
		150.00
जम्मू व कश्मीर कुल		450.00
राजस्थान	छाबड़ा टीपीपी	250.00
	कालीसिंध टीपीएस	600.00
		600.00
	रामगढ़ सीसीपीपी	50.00
राजस्थान कुल		1500.00
उत्तर प्रदेश	अनपरा टीपीएस	500.00
		500.00
उत्तर प्रदेश कुल		1000.00
गुजरात	भावनगर लिग्नाइट टीपीपी	250.00
	धुवरन सीसीपीपी	376.10
	सिक्का रेप. टीपीएस	250.00
		250.00
गुजरात कुल		1126.10
मध्य प्रदेश	श्रीसिंगीजी टीपीपी	600.00
मध्य प्रदेश कुल		600.00
महाराष्ट्र	चंद्रपुर (महाराष्ट्र) एसटीपीएस	500.00
		500.00
	कोराडी टीपीएस	660.00
		660.00
	पार्ली टीपीएस	250.00
महाराष्ट्र कुल		2570.00
आंध्र प्रदेश	दामोदरम संजीव्याह टीपीएस	800.00
		800.00
आंध्र प्रदेश कुल		1600.00
कर्नाटक	बेल्लारी टीपीएस	700.00
	येरमारस टीपीपी	800.00
कर्नाटक कुल		1500.00
तेलंगाना	काकातिया टीपीएस	600.00
	लोअर जुराला एचपीएस	40.00
		40.00
		40.00
		40.00
	सिंगारेनी टीपीपी	600.00
तेलंगाना कुल		1360.00
पश्चिम बंगाल	सागरदिची टीपीएस	500.00
पश्चिम बंगाल कुल		500.00
कुल		12271.10

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1886

जिसका उत्तर 28 जुलाई, 2016 को दिया जाना है ।

विद्युत की खरीद

1886. श्री ए. अरुणमणिदेवनः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या वर्तमान में विद्युत के कुल उत्पादन का लगभग 10 प्रतिशत अल्पकालीन द्विपक्षीय समझौतों और विद्युत विनियम आदि के माध्यम से संव्यवहारित किया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या अप्रैल, 2016 में विद्युत की अल्पकालीन खरीद हेतु दिशा-निर्देश पहले ही अधिसूचित किए जा चुके हैं जिसमें इस ई-बोली पोर्टल के प्रयोग द्वारा अल्पकालीन विद्युत की खरीद के सभी खरीदकर्ताओं के लिए इन्हें अनिवार्य बना दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या विद्युत विनिमय को इन दिशा-निर्देशों के क्षेत्र से बाहर रखा जाएगा; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : विद्युत का कारोबार लघु अवधि के द्विपक्षीय करारों और पावर एक्सचेंजों इत्यादि के माध्यम से भी किया जाता है। "भारत में लघु आवधिक विद्युत बाजार : 2014-15" विषय पर केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार लघु अवधि के विद्युत व्यापार के माध्यम से लगभग 98.99 बिलियन यूनिटों अर्थात् विद्युत प्रापण का 9% कारोबार किया गया है।

(ख) से (घ) : विद्युत मंत्रालय ने 30 मार्च, 2016 के संकल्प के तहत पोर्टल के द्वारा प्रशुल्क आधारित बोली के माध्यम से वितरण लाइसेंसियों द्वारा विद्युत के लघु अवधि प्रापण हेतु दिशा-निर्देश अधिसूचित किए थे। इस अधिसूचना के अनुसार, पावर एक्सचेंजों से खरीदी गई विद्युत को इन दिशा-निर्देशों के क्षेत्र से बाहर कर दिया गया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1889
जिसका उत्तर 28 जुलाई, 2016 को दिया जाना है।

विद्युत ग्रिड निगम

1889. श्री भगवंत खुबा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों से भारत विद्युत ग्रिड निगम द्वारा राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा न कर पाने के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त की हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा शिकायत-वार क्या कार्रवाई की गई है; और
- (ग) क्या विद्युत ग्रिड निगम को उपयुक्त उपाय करने के लिए कहा गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) द्वारा राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा न करने के बारे में विद्युत मंत्रालय को राज्य सरकारों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, समग्र पारेषण नेटवर्क के विकास में अंतरराज्यीय एवं अंतः-राज्यीय पारेषण प्रणालियों दोनों का विकास शामिल है और इसे क्रमशः केंद्रीय पारेषण यूटिलिटी (सीटीयू) तथा राज्य पारेषण यूटिलिटी (एसटीयू) द्वारा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) एवं सभी पणधारकों के परामर्श से किया जाता है।

12वीं योजना के दौरान (अप्रैल, 2012 - मार्च, 2017) पीजीसीआईएल ने लगभग 100,000 एमवीए की पारेषण क्षमता, 60 उपकेंद्रों और 40,000 सर्किट किलोमीटर की पारेषण लाइनों की अभिवृद्धि करने पर विचार किया था जिसमें से योजना के पहले चार वर्षों में लगभग 130,000 एमवीए की क्षमता, 57 उपकेंद्र और 36,000 सर्किट किलोमीटर की पारेषण लाइनें पहले ही हासिल की जा चुकी हैं। पीजीसीआईएल ने 12वीं योजना अवधि के दौरान 110,000 करोड़ रुपये के पूंजीगत परिव्यय की योजना बनाई थी जिसमें से यह योजना के पहले चार वर्षों में 88,200 करोड़ रुपये से अधिक का पूंजीगत व्यय कर चुका है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1891
जिसका उत्तर 28 जुलाई, 2016 को दिया जाना है।

ईंधन रहित उपकरण

1891. श्री सुशील कुमार सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने देश में विशेषतः बिहार में ईंधन रहित उपकरण और विद्युत उपकरण के कार्यान्वयन हेतु कृषि क्षेत्रों की सिंचाई के लिए ग्रामीण नवाचार निधि के अंतर्गत धनराशि अनुमोदित की है; और
- (ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा ईंधन मुक्त, विद्युत और सौर उपकरणों हेतु देश में विशेषतः बिहार में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल कितनी राशि अनुमोदित और व्यय की गई है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के अंतर्गत ग्रामीण नवाचार निधि चालू है।

अनुबंध में दिए गए ब्यौरे के अनुसार, नाबार्ड ने वर्ष 2005-06 में विकास एवं सहयोग स्विस् एजेंसी (एसडीसी)

के सहयोग से क्षेत्र स्वच्छ ऊर्जा के अंतर्गत बिहार राज्य में ग्रामीण नवाचार निधि (आरआईएफ) के अंतर्गत

तीन परियोजनाओं की सहायता की है।

लोक सभा में दिनांक 28.07.2016 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1891 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

बिहार राज्य में ग्रामीण नवाचार निधि (आरआईएफ) के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा किया गया वित्तपोषण

क्र. सं.	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	संस्वीकृति का वर्ष	संस्वीकृत राशि	संवितरित राशि
				(रु. लाख में)	(रु. लाख में)
1.	साहिस्तापुर गाँव, सीवान में भूसा प्रज्वलित 10 किलोवाट सूक्ष्म ताप विद्युत संयंत्र परियोजना	झारखण्ड वैकल्पिक विकास मंच, रांची	2012-13	5.74	5.60
2.	कैमूर जिले में 50 घरों के लिए 1 किलोवाट के सौर ऊर्जा उपकेंद्र की संस्थापना (पेयजल परियोजना, जिसमें सिंचाई घटक शामिल हैं)	ग्रामीण जनजातीय पर्यावरणीय विकास अनुसंधान एवं संरक्षण दल (आरईएसीटी)	2012-13	9.66	9.66
3.	कैमूर जिले में 40 घरों के लिए 05 एचपी सबमर्सिबल पम्पों की संस्थापना	ग्रामीण जनजातीय पर्यावरणीय विकास अनुसंधान एवं संरक्षण दल (आरईएसीटी)	2012-13	9.93	9.93

नाबार्ड के माध्यम से कार्यान्वित नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) की सोलर पम्पसेट योजना के अंतर्गत 1075 यूनिटों के लिए 21.72 करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी की गई थी, जिसमें से बिहार राज्य में एक परियोजना के लिए 1.30 लाख रुपये की सब्सिडी जारी की गई थी

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1896

जिसका उत्तर 28 जुलाई, 2016 को दिया जाना है ।

बंद ऊर्जा संयंत्रों का ब्यौरा

1896. श्री ए.टी. नाना पाटील:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या हाल ही में देश में कई सारे कोयला आधारित संयंत्र बंद कर दिए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और महाराष्ट्र सहित राज्य-वार इसके क्या कारण हैं; और
- (ख) सरकार द्वारा भविष्य में जल अल्पता वाले क्षेत्रों में कोयला आधारित संयंत्र निर्मित न करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : महाराष्ट्र के विद्युत संयंत्रों सहित देश में हाल ही में (अप्रैल से जून, 2016) बंद हुए कोयला आधारित विद्युत स्टेशनों की, इनके बंद होने के कारणों सहित, राज्य-वार सूची अनुबंध में है।

(ख) : ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए पानी का आवंटन संबंधित राज्य सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा उन क्षेत्रों में जहाँ सम्यक तत्परता के बाद परियोजना स्थापित की गई है वहाँ पेयजल, अन्य मानव आवश्यकताओं और राज्य की सिंचाई/कृषि आवश्यकताओं इत्यादि को ध्यान में रखकर किया जाता है। यदि इसमें अंतरराज्यीय पहलू शामिल होते हैं तो केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) से पानी के आवंटन की स्वीकृति अपेक्षित होती है।

लोक सभा में दिनांक 28.07.2016 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1896 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

विगत में शून्य उत्पादन करने वाले कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों की राज्य-वार सूची (अप्रैल से जून, 2016)

राज्य	क्षेत्र	यूटिलिटी का नाम	स्टेशन का नाम	30.06.2016 की स्थिति के अनुसार क्षमता	बंदी के कारण
बिहार	केंद्रीय	बीआरबीसीएल	नबीनगर टीपीपी	250	जेनरेटर ट्रांसफार्मर समस्या
बिहार	राज्य	बीएसईबी	बरौनी टीपीएस	210	नवीकरण एवं आधुनिकीकरण/जीवन विस्तार
छत्तीसगढ़	निजी	एसीबी	स्वास्तिक कोरबा टीपीपी	25	धीमी अनुसूची
छत्तीसगढ़	निजी	वीईएसपीएल	काटघोरा टीपीपी	35	ईंधन नहीं/पीपीए हस्ताक्षरित नहीं किया गया
छत्तीसगढ़	निजी	वीवीएल	सलोरा टीपीपी	135	ईंधन नहीं/पीपीए हस्ताक्षरित नहीं किया गया
दिल्ली	राज्य	आईपीजीपीसीएल	राजघाट टीपीएस	135	धीमी अनुसूची
गुजरात	निजी	टोर. पाव. (उनोसुजैन)	साबरमती (सी स्टेशन)	60	धीमी अनुसूची
महाराष्ट्र	राज्य	महाजैको	पार्ली टीपीएस	1380	कच्चे जल की समस्या
महाराष्ट्र	निजी	एएमएनईपीएल	मिहान टीपीएस	246	धीमी अनुसूची
महाराष्ट्र	निजी	जीईपीएल	जीईपीएल टीपीपी फेज-I	120	खर्चीला प्रचालन
महाराष्ट्र	निजी	रत्न इंडिया	नासिक (पी) टीपीएस	270	पारेषण बाध्यता
महाराष्ट्र	निजी	आईईपीएल	बेला टीपीएस	270	खर्चीला प्रचालन
मध्य प्रदेश	राज्य	एमपीपीजीसीएल	अमरकंटक	40	मुख्य मरम्मत

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1901

जिसका उत्तर 28 जुलाई, 2016 को दिया जाना है ।

विद्युत संप्रक्त गांवों का प्रतिशत

1901. श्री नलीन कुमार कटौल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में परिवारों के विद्युत कनेक्शनों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार प्रतिशत कितना है;

(ख) क्या यह सच है कि देश में 35 प्रतिशत से अधिक घरों में कोई विद्युत कनेक्शन नहीं है और यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार देश में सभी परिवारों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करने हेतु समयबद्ध उपाय कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : जनगणना 2011 के अनुसार, देश में 16.78 करोड़ ग्रामीण घर थे जिनमें से 9.28 करोड़ घरों के लिए विद्युत की पहुँच थी। राज्यवार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत पात्र सभी बीपीएल घरों के लिए निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराए जाते हैं और एपीएल घरों के लिए विद्युत की पहुँच सृजित किए जाते हैं। डीडीयूजीजेवाई में सभी जनगणना गाँवों को विद्युतीकृत करने की कल्पना की गई है। सभी शेष गैर विद्युतीकृत जनगणना गाँवों का मई, 2018 तक विद्युतीकरण किए जाने का लक्ष्य है। इस स्कीम के अंतर्गत बीपीएल घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन प्रदान किए जाते हैं। एपीएल घरों को संबंधित राज्य विद्युत यूटिलिटीयों से विद्युत कनेक्शन लेने होते हैं। भारत सरकार ने "सभी के लिए" विद्युत की एक संयुक्त पहल की है जिसमें चरणबद्ध तरीके से वर्ष 2022 तक सभी घरों को विद्युत की पहुँच उपलब्ध कराने का लक्ष्य शामिल है।

लोक सभा में दिनांक 28.07.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1901 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

2011 की जनगणना के आधार पर आरएचएच के विद्युतीकरण की स्थिति

क्रम सं.	राज्य का नाम	कुल ग्रामीण घर	विद्युतीकृत ग्रामीण घर	विद्युतीकरण %
1	2	3	4	5
1	अंडमान व निकोबार	59030	46852	79%
2	आंध्र प्रदेश	14246309	12782453	90%
3	अरुणाचल प्रदेश	195723	108550	55%
4	असम	5374553	1524221	28%
5	बिहार	16926958	1754673	10%
6	चंडीगढ़	6785	6603	97%
7	छत्तीसगढ़	4384112	3070879	70%
8	दादर व नागर हवेली	35408	32452	92%
9	दमन व दीव	12750	12532	98%
10	गोवा	124674	119208	96%
11	गुजरात	6765403	5749271	85%
12	हरियाणा	2966053	2585338	87%
13	हिमाचल प्रदेश	1310538	1265897	97%
14	जम्मू व कश्मीर	1497920	1208527	81%
15	झारखंड	4685965	1514050	32%
16	कर्नाटक	7864196	6819812	87%
17	केरल	4095674	3772137	92%
18	लक्षद्वीप	2523	2517	100%
19	मध्य प्रदेश	11122365	6479144	58%
20	महाराष्ट्र	13016652	9605299	74%
21	मणिपुर	335752	205444	61%
22	मेघालय	422197	217739	52%
23	मिजोरम	104874	72138	69%
24	नागालैंड	284911	214319	75%
25	एनसीटी दिल्ली	79115	77366	98%
26	ओडिशा	8144012	2895252	36%
27	पुडुचेरी	95133	91105	96%
28	पंजाब	3315632	3166394	95%
29	राजस्थान	9490363	5528360	58%
30	सिक्किम	92370	83277	90%
31	तमिलनाडु	9563899	8683426	91%
32	त्रिपुरा	607779	361573	59%
33	उत्तर प्रदेश	25475071	6054978	24%
34	उत्तराखंड	1404845	1166756	83%
35	पश्चिम बंगाल	13717186	5529496	40%
	सकल योग	167826730	92808038	55%

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1910
जिसका उत्तर 28 जुलाई, 2016 को दिया जाना है ।

केरल में जल-विद्युत परियोजना

1910. श्री पी.के. बिजू:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केरल में अतिरापल्ली जल-विद्युत परियोजना (एचईपी) का कार्यान्वयन करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केरल सरकार ने उक्त परियोजना के लिए कोई प्रस्ताव दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : अतिरापल्ली जल विद्युत परियोजना का परियोजना विकासकर्ता केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी) है जो केरल सरकार के अंतर्गत आता है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा 31.3.2015 को परियोजना को तकनीकी आर्थिक स्वीकृति (टीईसी) प्रदान की गई थी। पर्यावरण, जल एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) ने 18.7.2012 से 18.7.2017 पांच वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए पर्यावरण स्वीकृति बढ़ा दी है। केएसईबी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वे परियोजना को कार्यान्वयन के लिए निविदाएं आमंत्रित कर रहे हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1913
जिसका उत्तर 28 जुलाई, 2016 को दिया जाना है ।

एलईडी बल्बों का वितरण

1913. श्री रमेश बिधूड़ी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वितरित किए गए एलईडी बल्बों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में नवीकरणीय ऊर्जा हेतु कम लागत वाला वित्तपोषण जुटाने के लिए कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : 'सभी के लिए वहनीय एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति' (उजाला) एक स्वैच्छिक कार्यक्रम है जिसे विद्युत क्षेत्र के चार सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) की संयुक्त उद्यम कंपनी, एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। दिनांक 25.07.2016 की स्थिति के अनुसार, ईईएसएल द्वारा लगभग 13.50 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किये जा चुके हैं। राज्यवार वितरण निम्नानुसार है:-

क्रम सं.	राज्य	वितरित एलईडी बल्ब (लाख में)
1.	दिल्ली	67.51
2.	हरियाणा	38.86
3.	हिमाचल प्रदेश	63.23
4.	उत्तराखंड	32.71
5.	राजस्थान	112.78
6.	उत्तर प्रदेश	107.84

7.	बिहार	35.96
8.	झारखंड	66.55
9.	छत्तीसगढ़	33.98
10.	महाराष्ट्र	185.82
11.	आन्ध्र प्रदेश	190.21
12.	कर्नाटक	116.14
13.	केरल	77.5
14.	पुडुचेरी	6.09
15.	गुजरात	121.98
16.	मध्य प्रदेश	38.86
17.	अंडमान व निकोबार	1.94
18.	गोआ	2.22
19.	उड़ीसा	35.1
20.	संस्थागत (रेलवे/पीएसयू)	15.1
	कुल	1350.38

ईईएसएल एलईडी लाइट्स को प्रोन्नत करने में उत्प्रेरक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है, जबकि अनेकों अन्य आपूर्तिकर्ता भी यहीं कार्य कर रहे हैं।

(ख) और (ग) : नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कम लागत का वित्त पोषण जुटाने के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के समन्वय में प्रमुख पहलें की हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, बहु-पार्श्वीय तथा द्विपार्श्वीय एजेंसियों अर्थात वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, केएफडब्ल्यू, डेवलपमेंट बैंक ऑफ जर्मनी इत्यादि के माध्यम में कम लागत के ऋण तथा वाणिज्यिक बैंकों के प्राथमिकता क्षेत्र ऋण संबंधी मानदंडों में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को शामिल करना समावेशित है। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान 5000 करोड़ रुपये के कर-मुक्त अवसंरचना बॉण्ड भी जारी किए गए।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1924
जिसका उत्तर 28 जुलाई, 2016 को दिया जाना है ।

एनटीपीसी परियोजनाओं का ब्यौरा

1924. कुमारी शोभा कारान्दलाजे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी) द्वारा चलाए जा रहे/निर्मित किए जा रहे अति महत्वपूर्ण ताप विद्युत संयंत्रों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) इस उद्देश्य के लिए संयंत्र-वार अनुमानित कितने कोयले की आवश्यकता होगी और कोयले की किस प्रकार नियमित आपूर्ति किए जाने की संभावना है; और
- (ग) इन संयंत्रों का निर्माण कर रहे ठेकेदारों का संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए जुटाए जा रहे संसाधनों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : अपेक्षित ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 28.07.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1924 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

एनटीपीसी की निर्माणाधीन सुपर क्रिटिकल विद्युत परियोजनाएं

क्रम सं.	राज्य	परियोजना/यूनिट (क्षमता मेगावाट)	अनुमोदित लागत (रुपए करोड़)	अनुमानित वार्षिक कोयला आवश्यकता (एमएमटीपीए)	कोयला आपूर्ति का तरीका	मुख्य संयंत्र के लिए संविदाकारों का ब्यौरा
एनटीपीसी परियोजनाएं						
1.	बिहार	बाढ़-I (3x660 मेगावाट)	15,096	10	कोयला कंपनियों से	बैलेंस स्टीम जेनरेटर (एसजी) वर्क: दूसन टरबाइन जेनरेटर (टीजी) : पावर मशीन
2.	कर्नाटक	कुडगी (3x800 मेगावाट)	15,166	13.1	कैप्टिव कोयला खान से	एसजी : दूसन टीजी : तोशीबा-जेएसडब्ल्यू
3.	महाराष्ट्र	मौदा-II (2x660 मेगावाट)*	7,921	5.79	कोयला कंपनियों से	एसजी और टीजी : भेल
4.	महाराष्ट्र	सोलापुर (2x660 मेगावाट)	9,395	7.5	कोयला कंपनियों से	एसजी : बीजीआर टीजी : एल्सटॉम बीएफ
5.	छत्तीसगढ़	लारा-I (2x800 मेगावाट)	11,846	7.0	कैप्टिव कोयला खान से	एसजी : दूसन टीजी : बीजीआर
6.	मध्य प्रदेश	गदरवारा-I (2x800 मेगावाट)	11,639	8.0	कोयला कंपनियों/कैप्टिव कोयला ब्लॉक से लांग-टर्म लिंकेज के लिए अनुरोध किया गया	एसजी और टीजी : भेल
7.	ओडिशा	दार्लीपल्ली-I (2x800 मेगावाट)	12,532	8.0	कैप्टिव कोयला खान से	एसजी : भेल टीजी : तोशीबा जेएसडब्ल्यू
8.	झारखंड	नॉर्थ करणपुरा (3x660 मेगावाट)	14,367	10.24	कोयला कंपनियों से	ईपीसी : भेल
9.	उत्तर प्रदेश	टांडा-II (2x660 मेगावाट)	9,189	6.5	कैप्टिव कोयला खान से	एसजी : एलएंडटी-एमएचपीएस टीजी : एल्सटॉम-बीएफ
10.	मध्य प्रदेश	खरगोन	9,871	6.6	कैप्टिव कोयला खान	ईपीसी : एलएंडटी

क्रम सं.	राज्य	परियोजना/यूनिट (क्षमता मेगावाट)	अनुमोदित लागत (रुपए करोड़)	अनुमानित वार्षिक कोयला आवश्यकता (एमएमटीपीए)	कोयला आपूर्ति का तरीका	मुख्य संयंत्र के लिए संविदाकारों का ब्यौरा
		(2x660 मेगावाट)			से	
11.	तेलंगाना	तेलंगाना-I (2x800 मेगावाट)	10,599	8	कैप्टिव कोयला खान से	एसजी : भेल टीजी : एल्सटॉम-बीएफ
जेवी और सहायक कंपनियां						
12.	उत्तर प्रदेश	एमयूएनएल मेजा (2x660 मेगावाट)	9751 करोड़ रुपए	7.0	कोयला कंपनियों से	एसजी : बीजीआर टीजी : तोशीबा (प्रथम संविदा) तोशीबा जेएसडब्ल्यू (द्वितीय संविदा)
13.	बिहार	एनपीजीसीपीएल नबीनगर (3x660 मेगावाट)	13624.02	11.08	कोयला कंपनियों से	एसजी : भेल टीजी : एल्सटॉम-बीएफ

* 660 मेगावाट की एक यूनिट पहले ही चालू हो चुकी है।

सभी संयंत्र 70:30 के अनुपात में ऋण-इक्विटी में वित्तपोषित कर रहे हैं।

एनटीपीसी की प्रचालनाधीन सुपर क्रिटिकल विद्युत परियोजनाएं

क्रम सं.	स्टेशन	क्षमता	राज्य	कोयला आवश्यकता (एमएमटीपीए)	कोयला आपूर्ति का तरीका	टिप्पणियां
1	सिपत -I	3x660	छत्तीसगढ़	9.94	कोयला कंपनियों से	वाणिज्यिक प्रचालनाधीन
2	बाढ़-II	2x660	बिहार	7.0	वर्तमान में कोयला कंपनियों से, भविष्य में कैप्टिव कोयला खान से	वाणिज्यिक प्रचालनाधीन
3	मौदा-II यू#3	660	महाराष्ट्र	5.79 (for 2x660 MW)	कोयला कंपनियों से	चालू की गई

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1926

जिसका उत्तर 28 जुलाई, 2016 को दिया जाना है।

विद्युत की आवश्यकता

1926. श्री मलयाद्रि श्रीराम:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देशभर में विद्युत की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोई पहल की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन खपत कितनी है; और

(ख) क्या सरकार ने विगत दो वर्षों के दौरान विद्युत उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति कर ली है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : विद्युत समवर्ती सूची का विषय है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सभी उपभोक्ताओं को विद्युत की चौबीसों घंटे आपूर्ति करना संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है। भारत सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र में विद्युत संयंत्रों की स्थापना करके तथा उन संयंत्रों से उन राज्यों को विद्युत का आबंटन करके राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देती है।

भारत सरकार ने सभी परिवारों/घरों, औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को सभी के लिए 24X7 विद्युत (पीएफए) उपलब्ध करवाने और राज्य नीति के अनुसार कृषि उपभोक्ता को विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति करने के लिए राज्य विशिष्ट दस्तावेज तैयार करने हेतु संबंधित राज्य सरकारों के साथ एक संयुक्त पहल की है। इस पहल का उद्देश्य वर्तमान उपभोक्ताओं को गुणवत्तापरक विद्युत की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना तथा विद्युत की पहुंच से वंचित सभी उपभोक्ताओं को विद्युत की पहुंच उपलब्ध करवाना है।

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अनुमानित प्रतिदिन/प्रति परिवार खपत का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ख) : गत दो वर्षों के दौरान लक्ष्य की तुलना में विद्युत के उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

	लक्ष्य (बिलियन यूनिट)	उपलब्धि (बिलियन यूनिट)	उपलब्धि (%)
2014-15	1023.0	1048.67	102.5
2015-16	1137.5	1107.82	97.4

लोक सभा में दिनांक 28.07.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1926 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

राज्य	2015-16		2016-17		2017-18		2018-19	
	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
कर्नाटक	1.31	3.30	1.45	3.62	1.60	3.97	1.77	4.35
सिक्किम	3.50	5.26	3.60	5.32	3.70	5.36	3.80	5.40
गुजरात	1.50	4.03	1.62	4.36	1.75	4.71	1.89	5.08
बिहार	1.60	5.00	1.90	6.00	2.20	6.50	2.50	7.00
तेलंगाना	1.62	4.68	1.85	5.26	3.36	5.90	3.56	6.60
मेघालय	1.53	6.45	1.60	6.91	1.66	7.39	1.73	7.91
महाराष्ट्र	1.71	3.22	1.85	3.47	2.00	3.75	2.16	4.05
झारखंड	1.87	4.42	2.21	5.49	2.55	6.57	3.00	8.00
असम	1.71	3.36	1.95	3.83	2.19	4.30	2.43	4.77
छत्तीसगढ़	1.93	7.46	2.00	7.87	2.07	8.30	2.15	8.75
राजस्थान	2.30	6.10	2.50	6.80	2.80	7.40	3.00	8.00
उत्तराखंड	2.42	4.90	2.59	5.24	2.77	5.61	2.97	6.00
ओडिशा	2.30	4.70	2.42	4.98	2.54	5.28	2.67	5.60
हरियाणा	2.50	6.80	2.70	7.40	3.00	8.20	3.30	9.00
केरल	-	3.55	-	3.80	-	4.07	-	4.35
पंजाब	4.43	6.93	4.87	7.49	5.36	8.09	5.89	8.73
गोवा	4.85	5.09	5.02	5.27	5.20	5.45	5.38	5.64
अरुणाचल प्रदेश	0.8	3.05	1.02	3.88	1.34	4.98	1.69	6.01
दादर व नागर हवेली	-	5.09	-	5.56	-	6.07	-	6.63
लक्षद्वीप (सभी)	-	4.91	-	5.09	-	5.29	-	5.50
जम्मू व कश्मीर	3	5.2	3.7	5.9	4.3	6.6	4.9	7.4
मध्य प्रदेश	1.67	4.16	1.89	4.34	2.14	4.52	2.43	4.71
मिजोरम	1.7	4.63	1.85	5.23	2.05	5.91	2.25	6.68
हिमाचल प्रदेश	1.63	6.29	1.76	6.52	1.9	6.75	2.05	6.99
दिल्ली	-	9.05	-	9.05	-	9.05	-	9.05
दमन व दीव	-	5.27	-	5.51	-	5.76	-	6.03
चंडीगढ़	-	11.29	-	12.13	-	13.03	-	14
त्रिपुरा	1.32	4.31	1.39	4.66	1.46	5.03	1.53	5.43
तमिलनाडु	1.95	4.49	2.05	4.71	2.15	4.95	2.26	5.2
मणिपुर	1.33	2.58	1.53	3.1	1.76	3.41	1.84	3.75
उत्तर प्रदेश	2.78	5.82	3.31	6.61	3.36	6.93	3.74	7.82
पुडुचेरी	-	5.87	-	5.95	-	6.04	-	6.12
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	2.47	3.96	2.59	4.16	2.72	4.37	2.86	4.59
पश्चिम बंगाल	1.28	3.44	1.33	3.49	1.38	3.54	1.43	3.59
नागालैंड	1.96	5.88	2.2	6.64	2.46	7.5	2.76	8.48

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1934

जिसका उत्तर 28 जुलाई, 2016 को दिया जाना है।

विद्युत की कमी

1934. श्री गोपाल शेटी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या योजना आयोग द्वारा किए गए एक आकलन के अनुसार विद्युत क्षेत्र गंभीर चिंता का विषय बन चुका है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार ने विद्युत क्षेत्र के विकास की बड़ी बाधाओं की पहचान की है; और
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : पूर्ववर्ती योजना आयोग राज्य विद्युत यूटिलिटियों एवं विद्युत विभागों की कार्यप्रणाली पर वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करता था। ऐसी अंतिम रिपोर्ट वर्ष 2013-14 में प्रकाशित की गई थी जिससे ऐसा कोई परिणाम नहीं निकलता कि "विद्युत क्षेत्र गंभीर चिंता का विषय बन चुका है।"

(ख) और (ग) : विद्युत क्षेत्र के विकास के संबंध में कोई प्रमुख बाधाएं नहीं हैं। तथापि विद्युत उत्पादन एवं पारेषण परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सामना किए जा रहे मुद्दे, भूमि अधिग्रहण में विलंब, पर्यावरण एवं वन-संबंधी मुद्दे, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन संबंधी मुद्दे, प्राकृतिक आपदाएं, कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्याएं, स्थानीय मुद्दे, संविदात्मक समस्याएं, सामग्री आपूर्ति में विलंब, भू-वैज्ञानिक अनिश्चितताएं, अत्यंत प्रतिकूल मौसम, दुर्गम क्षेत्र तथा खराब पहुंच मार्ग, निधि संबंधी बाधाएं, मजबूरन झेले जाने वाले जोखिम, अंतर-राज्यीय मुद्दे, पारेषण लाइनों के लिए मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) संबंधी समस्याएं इत्यादि हैं।

इसके अतिरिक्त, विद्युत वितरण क्षेत्र में विद्युत वितरण यूटिलिटीयों की खराब वित्तीय स्थिति, उच्च समय तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएण्डसी) हानियां, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की पहुंच की समस्याएं मुख्य बाधाएं हैं।

निर्माणाधीन/विलंबित विद्युत परियोजनाओं की निगरानी करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं ताकि इन्हें समय पर पूरा किया जा सके:

- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) बार-बार स्थल दौरा करके तथा विकासकर्ताओं, उपकरण आपूर्तिकर्ताओं और अन्य पणधारियों से बातचीत करके निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करता है ताकि परियोजनाओं के चालू होने में संवेदनशील मुद्दों की पहचान हो सके और उनका समाधान करने में सहायता की जा सके।
- बाधाग्रस्त क्षेत्रों की पहचान करने तथा अंतर-मंत्रालयी और अन्य बकाया मुद्दों का तीव्रता से समाधान करने को सुकर बनाने के लिए विद्युत मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय और मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा नियमित समीक्षाएं भी की जाती हैं।
- विद्युत मंत्रालय द्वारा, 12वीं योजना के दौरान तथा उसके पश्चात, संबद्ध पारेषण प्रणाली के साथ चालू किए जाने के लिए लक्षित निर्माणाधीन ताप एवं जल-विद्युत उत्पादन विद्युत परियोजनाओं की निगरानी के लिए विद्युत परियोजना निगरानी पैनल (पीपीएमपी) की स्थापना की गई है।
- सक्रिय सुशासन तथा समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए, जब भी अपेक्षित हो, मुद्दों को "प्रगति" में भी उठाया जाता है।

इसके अतिरिक्त, विद्युत वितरण क्षेत्र के विकास के लिए निम्नलिखित स्कीमें प्रारंभ की गई हैं:

- गांवों/वासस्थलों तथा घरों को विद्युत की पहुंच सहित ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त और गुणवत्तापरक विद्युत सुनिश्चित करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) की शुरुआत की गई है।
- उप-पारेषण एवं वितरण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण के लिए एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस),, वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग, तथा शहरी क्षेत्रों में वितरण क्षेत्रों को आईटी युक्त बनाना।
- स्मार्ट ग्रिड के विकास से संबंधित नीतियों एवं कार्यक्रमों की आयोजना/निगरानी तथा क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन (एनएसजीएम)।
- ग्रिड सुरक्षा में वृद्धि करने के लिए विद्युत क्षेत्र विकास निधि (पीएसडीएफ) के उपयोग की स्कीम।
- विद्युत वितरण कंपनियों के वित्तीय कार्याकल्प और प्रचालनात्मक सुधारों हेतु उदय (उज्ज्वल डिस्काम एश्योरेंस योजना)।

इसके अतिरिक्त, स्ट्रैंडेड गैस क्षमता का प्रचालन करने के लिए, सरकार ने पारदर्शी ई-नीलामी के माध्यम से पुनःगैसीकृत द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (आरएलएनजी) की आपूर्ति करने की नई योजना की शुरुआत की है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1937
जिसका उत्तर 28 जुलाई, 2016 को दिया जाना है ।

विद्युत का व्यापार

1937. डॉ. पी. वेणुगोपालः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विद्युत केन्द्रों में विद्युत के व्यापार का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विद्युत केन्द्रों के माध्यम से भी विद्युत की अल्पावधि खरीद की जाती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : विद्युत एक्सचेंज में व्यापार विभिन्न तरीकों जैसे डे अहेड मार्केट और टर्म अहेड मार्केट में किया जाता है जिसके लिए 11 दिनों तक विद्युत की सुपूर्दगी के लिए, संविदाएं की जाती हैं। इंटर डे मार्केट में भागीदारों को उसी दिन के विशिष्ट घंटों के लिए विद्युत व्यापार, की अनुमति दी जाती है।

व्यापारियों और विद्युत एक्सचेंजों के माध्यम से किए गये विद्युत के कारोबार की मात्रा संबंधी ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।

लोक सभा में दिनांक 28.07.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1937 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

व्यापारियों और विद्युत एक्सचेंजों के जरिए कारोबार की गई विद्युत की मात्रा नीचे दी गई है

वर्ष	व्यापारियों के जरिए कारोबार की गई विद्युत (बीयू)	आईईएक्स के जरिए कारोबार की गई विद्युत (बीयू)		पीएक्सआईएल के जरिए कारोबार की गई विद्युत (बीयू)		आईईएक्स और पीएक्सआईएल के जरिए कारोबार की गई विद्युत (बीयू)	कुल (बीयू) (व्यापारी + विद्युत एक्सचेंज)
		डे अहेड मार्केट	टर्म अहेड मार्केट	डे अहेड मार्केट	टर्म अहेड मार्केट		
2008-09	21.92	2.62		0.15		2.77	24.69
2009-10	26.72	6.17	0.095	0.92	0.003	7.19	33.91
2010-11	27.70	11.80	0.91	1.74	1.07	15.52	43.22
2011-12	35.84	13.79	0.62	1.03	0.11	15.54	51.38
2012-13	36.12	22.35	0.48	0.68	0.04	23.54	59.66
2013-14	35.11	28.92	0.34	1.11	0.30	30.67	65.78
2014-15	34.56	28.12	0.22	0.34	0.72	29.40	63.96
2015-16	35.43	33.96	0.33	0.14	0.58	35.01	70.43

टिप्पणी-1: 2008-09 (अप्रैल से जुलाई, 2008) में व्यापारियों के जरिए कारोबार की गई विद्युत की मात्रा में क्रॉस बॉर्डर व्यापार और अंतरा-राज्यीय व्यापार मात्रा शामिल है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1945

जिसका उत्तर 28 जुलाई, 2016 को दिया जाना है ।

बाह्य संयोजन - एफडीआई से विद्युत संयंत्र

1945. श्री जे.जे.टी. नट्टर्जी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कुछ विद्युत संयंत्रों को बाह्य संयोजन से निर्मित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे संयोजन से निर्मित परियोजनाओं की सूची क्या है;

(ख) क्या विद्युत क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई स्वीकार्य है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस संबंध में कई परियोजनाएं प्रगति में हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : निवेश की मात्रा की किसी ऊपरी सीमा के बिना, उत्पादन (परमाणु ऊर्जा के सिवाय), पारेषण, वितरण एवं व्यापार के लिए विद्युत क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% तक एफडीआई की अनुमति दी जाती है। भारत सरकार ने इस नीति में यथानिर्धारित कुछ शर्तों के अध्यधीन, स्वचालित मार्ग के अंतर्गत केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत बाजार) विनियम, 2010 के अंतर्गत पंजीकृत पावर एक्सचेंजों में 49% तक एफडीआई की अनुमति भी दी है।

देश में परियोजना विकासकर्ताओं के रूप में विदेशी निकायों के साथ निर्माण की जा रही विद्युत परियोजनाओं के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

- (i) सोरांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स (100 मेगावाट), हिमाचल प्रदेश
- (ii) एलबी वैली थर्मल पावर प्रोजेक्ट (2x660 मेगावाट), ओडिशा
- (iii) सेम्बकॉर्प गायत्री पावर लिमिटेड (थर्मल पावर प्रोजेक्ट) (2x660 मेगावाट), आंध्र प्रदेश
- (iv) थम्मिनापट्टनम चरण-II थर्मल पावर प्रोजेक्ट (2x350 मेगावाट), आंध्र प्रदेश
- (v) मनगांव कम्बाइंड साइकल पावर प्रोजेक्ट (388 मेगावाट), महाराष्ट्र

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1952

जिसका उत्तर 28 जुलाई, 2016 को दिया जाना है ।

एमएसएमई को विद्युत आपूर्ति

1952. श्री पी.सी. मोहन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या 20 प्रतिशत से अधिक फर्मे प्रति सप्ताह 30 घंटे से अधिक विद्युत कमी और 1/3 फर्मे 20 प्रतिशत से अधिक उत्पादन हानि को सहती हैं जोकि एमएसएमई क्षेत्र में विद्युत आश्रित उद्योगों हेतु 50 प्रतिशत तक हो जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या विद्युत की कमी के कारण एमएसएमई यूनिटों को बंद करने के संबंध में कोई डाटा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और
- (ग) क्या सरकार का एमएसएमई संकुलों हेतु अपने स्वयं के समूह का रक्षित विद्युत संयंत्र बनाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : विद्युत समवर्ती सूची का विषय है। किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में औद्योगिक उपभोक्ताओं सहित सभी उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति करना संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी के कार्यक्षेत्र में आता है। भारत सरकार सीपीएसयू के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र में विद्युत संयंत्रों की स्थापना करके तथा राज्यों वहाँ से विद्युत आवंटित करके राज्य सरकारों के प्रयासों का अनुपूरण करती है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा केंद्रीय विद्युत प्राधिकारण (सीईए) को दी गई सूचना के अनुसार चालू वर्ष 2016-17 (अप्रैल, 2016-जून, 2016) के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में उद्योगों पर अधिसूचित विद्युत कटौती का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ख) : जी नहीं।

(ग) : जी नहीं। तथापि, विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार विद्युत उत्पादन एक लाइसेंसमुक्त कार्य है, इसलिए एसएमई समूह द्वारा कैप्टिव विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए लाइसेंस अपेक्षित नहीं है।

लोक सभा में दिनांक 28.07.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1952 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

2016-17 के दौरान उद्योगों पर अधिसूचित विद्युत कटौती/प्रतिबंध (जून, 2016 तक)

राज्य/क्षेत्र	ऊर्जा कटौती	मांग कटौती
उत्तरी क्षेत्र		
दिल्ली	शून्य	शून्य
हरियाणा	शून्य	शून्य
हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य
पंजाब	शून्य	शून्य
राजस्थान	शून्य	शून्य
उत्तर प्रदेश	शून्य	शून्य
उत्तराखंड	एचटी और एलटी उद्योगों पर 0.099-0.242 एमयू/दिन	140 मेगावाट
पश्चिमी क्षेत्र		
छत्तीसगढ़	शून्य	शून्य
गुजरात	शून्य	शून्य
मध्य प्रदेश	शून्य	शून्य
महाराष्ट्र	शून्य	शून्य
गोवा	शून्य	शून्य
दक्षिणी क्षेत्र		
आंध्र प्रदेश	शून्य	शून्य
तेलंगाना	शून्य	शून्य
कर्नाटक	शून्य	शून्य
केरल	शून्य	शून्य
तमिलनाडु	शून्य	शून्य
पुडुचेरी	शून्य	शून्य
पूर्वी क्षेत्र		
बिहार	अधिसूचित कटौती नहीं	अधिसूचित कटौती नहीं
झारखंड	अधिसूचित कटौती नहीं	अधिसूचित कटौती नहीं
ओडिशा	अधिसूचित कटौती नहीं	अधिसूचित कटौती नहीं
पश्चिम बंगाल	अधिसूचित कटौती नहीं	अधिसूचित कटौती नहीं

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1956

जिसका उत्तर 28 जुलाई, 2016 को दिया जाना है ।

प्राकृतिक गैस अग्नि से चालित संयंत्र

1956. श्री एम.के. राघवन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 24000 मेगावाट से अधिक क्षमता वाले प्राकृतिक गैस अग्नि से चालित संयंत्र बेकार पड़े हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या इन संयंत्रों को जीवित करने के लिए कोई उपाय किए जा रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : भारत सरकार ने रिवर्स ई-बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित स्ट्रैंडेड गैस आधारित विद्युत संयंत्रों तथा लक्षित संयंत्र भार कारक (पीएलएफ) तक घरेलू गैस प्राप्त करने वाले संयंत्रों के लिए वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 में आयोजित स्पॉट पुनःगैसीकृत द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (आरएलएनजी) की आपूर्ति करने की एक स्कीम संस्वीकृत की है। ऐसे संयंत्रों की सूची क्रमशः अनुबंध-I तथा अनुबंध-II में दी गई है। स्कीम में पीएसडीएफ (विद्युत प्रणाली विकास निधि) से वित्तीय सहायता के लिए प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, स्कीम में केंद्र एवं राज्य सरकारों सहित इन उद्देश्यों के लिए आयात किए जा रहे मूल्यवर्द्धित आरएलएनजी पर लागू करों/शुल्कों से छूट के माध्यम से सभी पणधारकों द्वारा संयुक्त रूप से किए जाने वाले अधित्याग की परिकल्पना की गई है। स्कीम के अंतर्गत किए जाने वाले अधित्याग इस प्रकार हैं:

- (i) आयातित एलएनजी पर सीमा शुल्क अधित्याग;
- (ii) मूल्यवर्द्धित कर, केंद्रीय बिक्री कर, चुंगी एवं प्रवेश कर का अधित्याग;
- (iii) पाइपलाइन प्रशुल्क प्रभारों, पुनर्गैसीकरण प्रभारों और बाजार मार्जिन में कमी; और
- (iv) स्ट्रैंडेड गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं के लिए पारेषण प्रभारों और हानियों से छूट।

यह स्कीम 01 जून, 2015 से कार्यान्वयनाधीन है तथा अब तक नीलामी के तीन चरण पूरे कर लिए गए हैं।

लोक सभा में दिनांक 28.07.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1956 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

स्टैंडर्ड गैस आधारित क्षमता की सूची

क्रम सं.	विद्युत स्टेशन का नाम	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	राज्य का नाम
केंद्रीय क्षेत्र			
1	रत्नागिरी (आरजीपीपीएल-दाभोल)	1967	महाराष्ट्र
	कुल (सीएस)	1967	
राज्य क्षेत्र			
2	प्रगति सीसीजीटी-III	750	दिल्ली
3	धुवरन सीसीपीपी (जीएसईसीएल)	112	गुजरात
4	उतरन सीसीपीपी (जीएसईसीएल)	374	गुजरात
5	पीपीवाव सीसीपीपी	702	गुजरात
6	धुवरन सीसीपीपी (जीएसईसीएल)	376.3	गुजरात
7	हजीरा सीसीपीपी एक्सटें.	351	गुजरात
	कुल (एसएस)	2665.3	
	कुल (सार्वजनिक)	4632.3	
निजी क्षेत्र			
1	वटवा सीसीपीपी (टोरेंट)	100	गुजरात
2	रिठाला सीसीपीपी (एनडीपीएल)	108	दिल्ली
3	एस्सार सीसीपीपी**	300	गुजरात
4	यूनोसुजैन सीसीपीपी	382.5	गुजरात
5	डीजीईएन मेगा सीसीपीपी	1200	गुजरात
6	गौतमी सीसीपीपी	464	आंध्र प्रदेश
7	जीएमआर - काकीनाडा (तनीरवावी)	220	आंध्र प्रदेश
8	जेगुरुपडु सीसीपीपी (जीवीके)	220.5	आंध्र प्रदेश
9	कोनासीमा सीसीपीपी	445	आंध्र प्रदेश
10	कोंडापल्ली एक्सटें. सीसीपीपी	366	आंध्र प्रदेश
11	वेमागिरी सीसीपीपी	370	आंध्र प्रदेश
12	श्रीबा इण्डस्ट्रीज	30	आंध्र प्रदेश
13	आरवीके एनर्जी	28	आंध्र प्रदेश
14	सिल्क रोड शुगर	35	आंध्र प्रदेश
15	एलवीएस पावर	55	आंध्र प्रदेश
16	जीएमआर वेमागिरी एक्सपें.	768	आंध्र प्रदेश
17	कोंडापल्ली एक्सटें. सीसीपीपी -III	742	आंध्र प्रदेश
18	समलकोट एक्सपें.	2400	आंध्र प्रदेश
19	पांडुरंगा द्वारा सीसीजीटी	116	आंध्र प्रदेश
20	आस्था द्वारा गैस इंजन	35	तेलंगाना
21	काशीपुर श्रावन्थी स्टेज-I व II	450	उत्तराखण्ड
22	बेटा इंफ्राटेक सीसीजीटी	225	उत्तराखण्ड
23	गामा इंफ्राप्रॉप सीसीजीटी	225	उत्तराखण्ड
24	पायोनियर गैस पावर लि. द्वारा सीसीजीटी	388	महाराष्ट्र
	कुल (निजी)	9673	
	कुल	14305.3	

- कृपया नोट करें कि 515 मेगावाट की कुल क्षमता में से, 300 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति ग्रिड को की जा रही है तथा शेष 215 मेगावाट का प्रयोग कैप्टिव उत्पादन के रूप में किया जा रहा है।

लोक सभा में दिनांक 28.07.2016 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1956 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

घरेलू गैस प्राप्त करने वाले संयंत्रों की सूची

क्रम सं.	विद्युत स्टेशन का नाम	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	राज्य का नाम
1	एनटीपीसी, फरीदाबाद, सीसीपीपी	431.59	हरियाणा
2	एनटीपीसी, अंता सीसीपीपी	419.33	राजस्थान
3	एनटीपीसी, ओरैया सीसीपीपी	663.36	उत्तर प्रदेश
4	एनटीपीसी, दादरी सीसीपीपी	829.78	उत्तर प्रदेश
5	एनटीपीसी, गांधार (झानोर)	657.39	गुजरात
6	एनटीपीसी, कवास सीसीपीपी	656.2	गुजरात
	कुल (सीएस)	3657.65	
7	आई.पी. सीसीपीपी	270	दिल्ली
8	प्रगति सीसीजीटी-III	750	दिल्ली
9	प्रगति सीसीपीपी	330.4	दिल्ली
10	धौलापुर सीसीपीपी	330	राजस्थान
11	धुवरन सीसीपीपी (जीएसईसीएल)	106.42	गुजरात
12	हजीरा सीसीपीपी (जीएसईजी)	156.1	गुजरात
13	उतरन सीसीपीपी (जीएसईसीएल)	144	गुजरात
14	उरन सीसीपीपी (महाजैनको)	672	महाराष्ट्र
	कुल (एसएस)	2758.92	
	कुल (सार्वजनिक)	6416.57	
1	ट्रॉम्बे सीसीपीपी (टीपीसी)	180	महाराष्ट्र
2	बड़ौदा सीसीपीपी (जीआईपीसीएल)	160	गुजरात
3	गोदावरी (स्पेक्ट्रम)	208	आंध्र प्रदेश
4	जेगुरुपडु सीसीपीपी (जीवीके)	235.4	आंध्र प्रदेश
5	कोंडापल्ली सीसीपीपी (लैंको)	350	आंध्र प्रदेश
6	पेड्डापुलम (बीएसईएस)	220	आंध्र प्रदेश
7	विजेश्वरन सीसीपीपी	272	आंध्र प्रदेश
8	पेगुथान सीसीपीपी (जीटीईसी)	655	गुजरात
9	सुजैन सीसीपीपी (टॉरेंट)	1147.5	गुजरात
	कुल (निजी)	3427.9	
	सकल योग	9844.47	

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1961
जिसका उत्तर 28 जुलाई, 2016 को दिया जाना है ।

विद्युत उत्पादन पर सूखे का प्रभाव

1961. श्री हरिश्चन्द्र चव्हाणः

श्री चन्द्रकांत खैरेः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पानी की अनुपलब्धता के कारण विद्युत उत्पादन प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उन क्षेत्रों के विद्युत संयंत्रों में पानी की पर्याप्त आपूर्ति के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : देश के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल के उपलब्ध न होने के कारण वर्ष 2015-16 के दौरान विद्युत उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है। ताप विद्युत स्टेशन से उत्पादन के मामले में महाराष्ट्र स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड (महाजेनको) ने सूचित किया है कि महाराष्ट्र के बीड जिले में पार्ली ताप विद्युत स्टेशन के सभी यूनितें सूखे की वजह से कच्चे जल के उपलब्ध न होने के कारण विद्युत की बंदी के अधीन है। जल के उपलब्ध न होने के कारण अस्थायी रूप से बंद होने वाली अन्य ताप विद्युत उत्पादन यूनितों का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

वर्ष 2015-16 के लिए देश में हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर जेनरेशन का उत्पादन 128 बीयू के लक्ष्य की तुलना में 121.34 बीयू पर कम था। जलविद्युत उत्पादन का क्षेत्रवार ब्यौरा निम्नवत है:

(31.03.2016 की स्थिति के अनुसार)

क्षेत्र	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन (बीयू)		लक्ष्य की तुलना में उत्पादन का प्रतिशत
		लक्षित	वास्तविक	
उत्तरी	18302.27	64.50	73.11	13.34
पश्चिमी	7392.00	16.01	12.85	-19.78
दक्षिणी	11592.45	31.82	20.98	-34.06
पूर्वी	4254.70	11.64	10.24	-12.03
पूर्वोत्तर	1242.00	4.03	4.21	4.33
कुल	42783.42	128.00	121.38	-5.17

(ग) और (घ) : सामान्य जलविद्युत उत्पादन में किसी कमी को अन्य स्रोतों से उत्पादन को बढ़ा करके मुआवजा दिया जाता है। सूखे की वजह से जल की कमी पर काबू पाने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्र (एसटीपी) जल के पुनः उपयोग की व्यवहार्यता पर विचार किया जा रहा है। नई प्रशुल्क नीति, 2016 में, 50 किलोमीटर के दायरे के भीतर स्थित नगरपालिका/स्थानीय निकायों के सीवेज उपचार संयंत्र के उपचारित सीवेज जल के प्रयोग को अधिदेशित किया गया है।

लोक सभा में दिनांक 28.07.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1961 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

उन ताप उत्पादक इकाइयों का आउटैज ब्यौरा जो कच्चे पानी की समस्या के कारण अस्थायी रूप से बंद थीं

क्षेत्र	राज्य	सेक्टर प्रकार	संगठन	स्टेशन	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	ट्रिप तारीख	सिंक्रो. तारीख	आउटैज के कारण
पूर्वी क्षेत्र	बिहार	केंद्रीय	एनटीपीसी लि.	बाढ़-II	4	660	11-जुला.-15	11-जुला.-15	कच्चा पानी उपलब्ध नहीं/नहर का कम इंटेक स्तर
पूर्वी क्षेत्र	बिहार	केंद्रीय	एनटीपीसी लि.	बाढ़-II	5	660	4-अक्टू.-15	5-अक्टू.-15	कच्चे पानी की समस्या
पूर्वी क्षेत्र	ओडिशा	निजी	सेल	स्टरलाइट टीपीपी	2	600	23.06.2016		कच्चे पानी की समस्या
पूर्वी क्षेत्र	पश्चिम बंगाल	केंद्रीय	एनटीपीसी लि.	फरक्का एसटीपीएस	1	200	1-अप्रैल-16	6-अप्रैल-16	कच्चे पानी की समस्या
पूर्वी क्षेत्र	पश्चिम बंगाल	केंद्रीय	एनटीपीसी लि.	फरक्का एसटीपीएस	2	200	1-अप्रैल-16	4-अप्रैल-16	कच्चे पानी की समस्या
पूर्वी क्षेत्र	पश्चिम बंगाल	केंद्रीय	एनटीपीसी लि.	फरक्का एसटीपीएस	3	200	1-अप्रैल-16	11-अप्रैल-16	कच्चे पानी की समस्या
पूर्वी क्षेत्र	पश्चिम बंगाल	केंद्रीय	एनटीपीसी लि.	फरक्का एसटीपीएस	4	500	15-फर.-16	18-फर.-16	कच्चे पानी की समस्या
पूर्वी क्षेत्र	पश्चिम बंगाल	केंद्रीय	एनटीपीसी लि.	फरक्का एसटीपीएस	4	500	1-अप्रैल-16	11-अप्रैल-16	कच्चे पानी की समस्या
पूर्वी क्षेत्र	पश्चिम बंगाल	केंद्रीय	एनटीपीसी लि.	फरक्का एसटीपीएस	5	500	1-अप्रैल-16		कच्चे पानी की समस्या
दक्षिणी क्षेत्र	कर्नाटक	राज्य	केपीसीएल	रायचूर टीपीएस	1	210	1-सितंबर-15	2-सितंबर-15	कच्चे पानी की समस्या
दक्षिणी क्षेत्र	कर्नाटक	राज्य	केपीसीएल	रायचूर टीपीएस	1	210	17-मार्च-16	21-मार्च-16	कच्चा पानी उपलब्ध नहीं/नहर का कम इंटेक स्तर
दक्षिणी क्षेत्र	कर्नाटक	राज्य	केपीसीएल	रायचूर टीपीएस	2	210	15-मार्च-16	21-मार्च-16	कच्चा पानी उपलब्ध नहीं/नहर का कम इंटेक स्तर
दक्षिणी क्षेत्र	कर्नाटक	राज्य	केपीसीएल	रायचूर टीपीएस	5	210	11-फर.-16	13-फर.-16	कच्चे पानी की समस्या
दक्षिणी क्षेत्र	कर्नाटक	राज्य	केपीसीएल	रायचूर टीपीएस	6	210	14-मार्च-16	20-मार्च-16	कच्चा पानी उपलब्ध नहीं/नहर का कम इंटेक स्तर
दक्षिणी क्षेत्र	कर्नाटक	राज्य	केपीसीएल	रायचूर टीपीएस	7	210	17-फर.-16	19-फर.-16	कच्चे पानी की समस्या
दक्षिणी क्षेत्र	कर्नाटक	राज्य	केपीसीएल	रायचूर टीपीएस	7	210	15-मार्च-16	21-मार्च-16	कच्चा पानी उपलब्ध नहीं/नहर का कम इंटेक स्तर
दक्षिणी क्षेत्र	तमिलनाडु	केंद्रीय	एनटीपीएल	तूतीकोरिन (जेबी) टीपीपी	2	500	5-अक्टू.-15	5-अक्टू.-15	कच्चे पानी की समस्या
दक्षिणी क्षेत्र	कर्नाटक	निजी	यूपीसीएल	उडुपी टीपीपी	1	600	10-अग.-15	10-सितं.-15	कच्चे पानी की समस्या
दक्षिणी क्षेत्र	कर्नाटक	निजी	यूपीसीएल	उडुपी टीपीपी	2	600	11-अग.-15	27-अग.-15	कच्चे पानी की समस्या
दक्षिणी क्षेत्र	कर्नाटक	निजी	यूपीसीएल	उडुपी टीपीपी	2	600	19-अप्रैल-16		कच्चे पानी की समस्या
दक्षिणी क्षेत्र	आंध्र प्रदेश	निजी	एचएनपीसी	विजग टीपीपी	1	520	2-फर.-16	2-फर.-16	कच्चे पानी की समस्या
पश्चिम क्षेत्र	महाराष्ट्र	निजी	ईईएल	एमको वरौरा टीपीएस	1	300	20-मई-15	26-मई-15	कच्चे पानी की समस्या
पश्चिम क्षेत्र	महाराष्ट्र	निजी	ईईएल	एमको वरौरा टीपीएस	1	300	15-अप्रैल-16		कच्चा पानी उपलब्ध नहीं/नहर का कम इंटेक स्तर
पश्चिम क्षेत्र	महाराष्ट्र	निजी	ईईएल	एमको वरौरा टीपीएस	2	300	19-अप्रैल-16		कच्चा पानी उपलब्ध नहीं/नहर का कम इंटेक स्तर
पश्चिम क्षेत्र	छत्तीसगढ़	निजी	एसीबी	कसाईपल्ली टीपीपी	2	135	21-अग.-15	23-अग.-15	कच्चे पानी की समस्या
पश्चिम क्षेत्र	गुजरात	निजी	ईपीजीएल	सलाया टीपीपी	2	600	30-मार्च-15	7-अप्रैल-15	कच्चे पानी की समस्या
पश्चिम क्षेत्र	गुजरात	निजी	ईपीजीएल	सलाया टीपीपी	2	600	9-अप्रैल-15	9-मई-15	कच्चे पानी की समस्या
पश्चिम क्षेत्र	गुजरात	निजी	ईपीजीएल	सलाया टीपीपी	2	600	12-जुला.-15	24-जुला.-15	कच्चे पानी की समस्या
पश्चिम क्षेत्र	गुजरात	निजी	ईपीजीएल	सलाया टीपीपी	2	600	1-सितं.-15	14-सितं.-15	कच्चे पानी की समस्या
पश्चिम क्षेत्र	मध्य प्रदेश	निजी	एसपीएल	सासन यूएमटीपीपी	3	660	26-जुला.-15	27-जुला.-15	कच्चे पानी की समस्या
पश्चिम क्षेत्र	गुजरात	राज्य	जीएसईसीएल	सिक्का रिप. टीपीएस	3	250	27-अक्टू.-15	31-अक्टू.-15	कच्चा पानी उपलब्ध नहीं/नहर का कम इंटेक स्तर

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1972

जिसका उत्तर 28 जुलाई, 2016 को दिया जाना है ।

विद्युत उत्पादन की लागत

1972. एडवोकेट नरेन्द्र केशव सावईकर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में जल विद्युत उत्पादन की लागत बहुत अधिक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या राज्य सरकारें जल विद्युत की लागत अधिक होने के कारण इसे खरीदने की इच्छुक नहीं हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या सरकार का दरों में कमी करने के दृष्टिकोण से दरों की समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख): नए जलविद्युत उत्पादन स्टेशन का प्रशुल्क, प्रचालन के प्रारंभिक वर्षों में नए कोयला आधारित विद्युत स्टेशन की तुलना में अपेक्षाकृत ज्यादा होता है क्योंकि जलविद्युत स्टेशनों में प्रशुल्क फ्रंट-लोडेड होता है। उत्पादन की लागत ताप विद्युत संयंत्र के जीवन काल में, कोयले की लागत, प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओएण्डएम) इत्यादि पर निर्भर करते हुए भिन्न होती है जबकि उस समय जलविद्युत स्टेशन के प्रशुल्क में कोई खास परिवर्तन नहीं होता है। वस्तुतः जलविद्युत स्टेशनों के प्रशुल्क में समय बीतने के साथ-साथ मूल्यहास प्रभाव तथा ईंधन की लागत नहीं होने के कारण सामान्यतः कमी आती है। प्रारंभिक वर्षों में जलविद्युत स्टेशन का प्रशुल्क उच्च पूंजीगत लागत के कारण ज्यादा होता है जिसे परियोजना के प्रारंभिक 12-15 वर्षों तथा विभिन्न कारणों यथा पर्यावरण एवं वन स्वीकृति, अनिश्चित भू-विज्ञान, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन इत्यादि से परियोजना के निष्पादन में लगे ज्यादा समय के लिए भारित किया जाता है/गणना की जाती है। उपर्युक्त के कारण कुछ राज्यों ने लागत आधिक्य आधार पर निजी विकासकर्ताओं की जलविद्युत परियोजनाओं से विद्युत खरीदने में अनिच्छा दर्शाई है।

(ग) : ऐसा प्रस्ताव मंत्रालय में विचाराधीन नहीं है। दिनांक 28 जनवरी, 2016 को अधिसूचित संशोधित प्रशुल्क नीति में, प्रशुल्क को कम करने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित पहल की गई हैं:

- न्यूनतम 60% क्षमता के लिए दीर्घकालीन विद्युत क्रय करार (पीपीए) की निश्चितता, शेष व्यापारिक बिक्री के माध्यम से पीपीए को 35 वर्षों के बाद आगे और 15 वर्षों के लिए विस्तारित करने का प्रावधान।
- विकासकर्ताओं को आयोग द्वारा निर्धारित उच्चतम सीमा की तुलना में मूल्यहास की निम्न दर प्रभारित करने का विकल्प दिया गया ताकि प्रशुल्क निर्धारण में नम्यता रहे।
- जलविद्युत को सौर क्रय दायित्व से बाहर रखा गया।
- लंबे समय के ऋण वित्त पोषण का प्रावधान।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1981

जिसका उत्तर 28 जुलाई, 2016 को दिया जाना है ।

नए विद्युत संयंत्र

1981. योगी आदित्यनाथ:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में नए विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ख) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा स्वीकृत विद्युत संयंत्रों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इनकी वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 7 के अनुसार, कोई भी उत्पादन कंपनी यदि ग्रिड के साथ कनेक्टिविटी से संबंधित तकनीकी मानकों का पालन करती है तो वह उत्पादन स्टेशन की स्थापना, प्रचालन तथा अनुरक्षण इस अधिनियम के अंतर्गत बिना लाइसेंस/अनुमति लिए कर सकती है। तदनुसार, ताप विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए सरकार की संस्वीकृति अपेक्षित नहीं है। तथापि, जलविद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की सहमति हेतु प्रस्तुत करनी अपेक्षित है। इस समय, जलविद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु विभिन्न राज्यों से 50 प्रस्ताव केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) में सहमति/मूल्यांकन हेतु प्राप्त हुए हैं जिनके ब्यौरे अनुबंध-I पर दिए गए हैं।

15 जलविद्युत परियोजनाओं को सीईए द्वारा सहमति दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति के साथ इनके ब्यौरे अनुबंध-II पर दिए गए हैं।

लोक सभा में दिनांक 28.07.2016 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1981 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

विभिन्न राज्यों से सीईए में प्राप्त प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य	क्षमता (मेगावाट)
1	मियार	हिमाचल प्रदेश	120
2	न्यू गंदरवाल	जम्मू व कश्मीर	93
3	रूपसियाबगर खसियाबारा	उत्तराखंड	261
4	तीस्ता स्टे-IV	सिक्किम	520
5	डिबिन	अरुणाचल प्रदेश	120
6	न्यामजंग छू	अरुणाचल प्रदेश	780
7	तवांग स्टे.-I	अरुणाचल प्रदेश	600
8	टाटो-II	अरुणाचल प्रदेश	700
9	तवांग स्टे.-II	अरुणाचल प्रदेश	800
10	सियोम	अरुणाचल प्रदेश	1000
11	कलाई-II	अरुणाचल प्रदेश	1200
12	हियो	अरुणाचल प्रदेश	240
13	टाटो-I	अरुणाचल प्रदेश	186
14	दिखू	नागालैंड	186
15	चांगो यांगथांग	हिमाचल प्रदेश	180
16	छतरू	हिमाचल प्रदेश	126
17	देवसरी	उत्तराखंड	252
18	मतनार	छत्तीसगढ़	60
19	लोअर सियांग	अरुणाचल प्रदेश	2700
20	हिरांग	अरुणाचल प्रदेश	500
21	इटेलिन	अरुणाचल प्रदेश	3097
22	टलॉग लॉडा	अरुणाचल प्रदेश	225
23	नेइंग	अरुणाचल प्रदेश	1000
24	किंशी-I	मेघालय	270
25	लोअर कोपिली	असम	120
26	किरू	जम्मू व कश्मीर	624
27	कोटलीभेल स्टे.-Iए	उत्तराखंड	195
28	कोटलीभेल स्टे.-Iबी	उत्तराखंड	320
29	कोटलीभेल स्टे.-II	उत्तराखंड	530

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य	क्षमता (मेगावाट)
30	अलकनंदा	उत्तराखंड	300
31	पकलदुल	जम्मू व कश्मीर	1000
32	कुटेहर	हिमाचल प्रदेश	240
33	नाफ्रा	अरुणाचल प्रदेश	120
34	डेम्वे लोअर प्राइवेट	अरुणाचल प्रदेश	1750
35	अथिरापल्ली	केरल	163
36	क्वार	जम्मू व कश्मीर	540
37	स्वालकोट	जम्मू व कश्मीर	1856
38	सेली	हिमाचल प्रदेश	400
39	सचखास	हिमाचल प्रदेश	267
40	जेलम टमक	उत्तराखंड	108
41	बोवाला नंद प्रयाग	उत्तराखंड	300
42	डगामारा	बिहार	130
43	उम्नगोट	मेघालय	210
44	सुबानसिरी मिडिल (कमला)	अरुणाचल प्रदेश	1800
45	टगुरशिट	अरुणाचल प्रदेश	74
46	अड्डनली	अरुणाचल प्रदेश	680
47	टुर्गा पीएसएस	पश्चिम बंगाल	1000
48	लोकटक डीएस	मणिपुर	66
49	मागोचू	अरुणाचल प्रदेश	96
50	किरथई-II	जम्मू व कश्मीर	930

लोक सभा में दिनांक 28.07.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1981 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

सीईए द्वारा अप्रैल, 2013 और उसके बाद जिन जल विद्युत परियोजनाओं को सहमति दी गई उनकी स्थिति

(30-06-2016 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य	क्षेत्र	क्षमता (मेगावाट)	स्टेज
1	चांगो यांगथांग	हिमाचल प्रदेश	निजी	180	ये परियोजनाएं पर्यावरण / वन स्वीकृतियों के विभिन्न चरणों में हैं।
2	छतरू	हिमाचल प्रदेश	निजी	126	
3	न्यू गंदरवाल	जम्मू व कश्मीर	राज्य	93	
4	किरू	जम्मू व कश्मीर	केंद्रीय	624	
5	लोअर कोपिली	असम	राज्य	120	
6	किंशी-I	मेघालय	निजी	270	
7	दिखू	नागालैंड	निजी	186	
8	टाटो-I	अरुणाचल प्रदेश	निजी	186	
9	हियो	अरुणाचल प्रदेश	निजी	240	
10	कलाई-II	अरुणाचल प्रदेश	निजी	1200	
11	सियोम	अरुणाचल प्रदेश	निजी	1000	
12	नेइंग	अरुणाचल प्रदेश	निजी	1000	
13	टलोंग लोंडा	अरुणाचल प्रदेश	निजी	225	
14	इटेलिन	अरुणाचल प्रदेश	निजी	3097	
15	हीरोंग	अरुणाचल प्रदेश	निजी	500	

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1985

जिसका उत्तर 28 जुलाई, 2016 को दिया जाना है ।

विद्युत अधिनियम में संशोधन

1985. श्री टी. राधाकृष्णन:

श्री विद्युत वरण महतो:

श्री सुधीर गुप्ता:

कुँवर हरिवंश सिंह:

श्री गजानन कीर्तिकर:

श्री एस.आर. विजय कुमार:

डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड़:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने विद्युत अधिनियम में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है, यदि हाँ, तो इस पहल के क्या लक्ष्य और उद्देश्य हैं;
- (ख) क्या सरकार ने विद्युत अधिनियम का प्रारूप राज्य सरकारों को भेजा है, यदि हाँ, तो इस पर राज्य सरकारों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार प्रतिक्रिया क्या है;
- (ग) उक्त अधिनियम के कब तक प्रभाव में आने की संभावना है; और
- (घ) विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों से नवीकरणीय ऊर्जा की कुछ मात्रा खरीदने को अनिवार्य बनाने हेतु प्रस्तावित कदम क्या हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी हाँ। विभिन्न पणधारियों से प्राप्त सुझावों के आधार पर विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार ने विद्युत अधिनियम, 2003 में संशोधन प्रस्तावित किए हैं।

प्रस्तावित संशोधनों में अन्य बातों के साथ-साथ विद्युत की खुदरा आपूर्ति में प्रतिस्पर्धा, नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) का कड़ाई से प्रवर्तन तथा ग्रिड की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए कड़ी अपेक्षाओं की परिकल्पना की गई है।

(ख) : जी हाँ। विद्युत अधिनियम, 2003 में प्रस्तावित संशोधन प्रारंभ में 17 अक्टूबर, 2013 को विद्युत मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किए गए थे और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों सहित सभी पणधारियों को भी उनकी टिप्पणियों हेतु परिचालित किए गए थे। विद्युत अधिनियम, 2003 में संशोधन के लिए संशोधित प्रस्ताव टिप्पणियां मांगने हेतु दिनांक 15 सितंबर, 2015 को पुनः राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजा गया था। संशोधन प्रस्तावों पर विभिन्न राज्य सरकारों से टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं। ये टिप्पणियां मुख्य रूप से वितरण और आपूर्ति कार्यों के पृथक्करण के प्रावधान, कैप्टिव उत्पादन संयंत्रों द्वारा नवीकरणीय क्रय दायित्वों (आरपीओ) का अनुपालन नहीं करने तथा खुली पहुँच उपभोक्ताओं के लिए दंड के प्रावधान, विद्युत की चोरी और अनधिकृत प्रयोग संबंधी प्रावधानों से संबंधित हैं।

(ग) : यह अधिनियम संसद के दोनों सदनों द्वारा विद्युत (संशोधन) विधेयक पारित किए जाने तथा भारत के महामहिम राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात् लागू होगा।

(घ) : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1)(ड) के अनुसार वितरण कंपनियों को पहले ही ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत के निश्चित प्रतिशत का प्रापण करना अपेक्षित है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2033

जिसका उत्तर 28 जुलाई, 2016 को दिया जाना है ।

विद्युत मांग का आंकलन

2033. श्री कृपाल बालाजी तुमाने:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने तीव्र औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के कारण अगले पांच वर्ष में विद्युत की मांग के संबंध में कोई आंकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या एशियाई विकास बैंक देश में विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने को सहमत हो गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा देश की विद्युत की मांग का मूल्यांकन तीव्र औद्योगिकीकरण और शहरीकरण सहित विभिन्न घटकों को ध्यान में रखते हुए आवधिक तौर पर किया जाता है। नवीनतम विद्युत मांग पूर्वानुमान रिपोर्ट सीईए द्वारा दिसंबर, 2011 में किए गए 18वें भारतीय विद्युत सर्वेक्षण पर आधारित है।

इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 के लिए देश की अनुमानित वैद्युत ऊर्जा आवश्यकता (ईईआर) तथा वार्षिक व्यस्ततम वैद्युत भार (एपीईएल) नीचे दिया गया है:

वर्ष	वैद्युत ऊर्जा आवश्यकता (मिलियन यूनिट)	वार्षिक व्यस्ततम वैद्युत भार (मेगावाट)
2017-18	1450982	214093
2018-19	1552008	229465
2019-20	1660783	246068
2020-21	1778109	264041
2021-22	1904861	283470

विद्युत मांग का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए 19वीं इलेक्ट्रिक विद्युत सर्वेक्षण समिति (ईपीएससी) भी गठित की गई है और विद्युत मांग पूर्वानुमान के कार्य को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ख) : हिमाचल प्रदेश स्वच्छ ऊर्जा विकास निवेश कार्यक्रम के अंतर्गत एशियाई विकास बैंक ने निम्नलिखित जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए 800 मिलियन यूएसडी के वित्तपोषण की प्रतिबद्धता की है:

- (i) कशांग-I, II और III एचईपी (3x65 मेगावाट)
- (ii) स्वारा कुड्डु एचईपी (111 मेगावाट)
- (iii) सैंज एचईपी (100 मेगावाट)
- (iv) शांगटांग करचम एचईपी (450 मेगावाट)

ये परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2044

जिसका उत्तर 28 जुलाई, 2016 को दिया जाना है ।

ग्रिड का फेल होना

2044. श्री धर्मन्द्र यादव:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ऐसी प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रही है जो ग्रिड फेल होने की स्थिति में भी परिवारों को विद्युत बैक-अप प्रदान कर सके और यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं और इस प्रौद्योगिकी की क्या विशेषताएं हैं;
- (ख) उपभोक्ताओं को नई प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;
- (ग) देश में गांवों के विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु दी गई केन्द्रीय सहायता को कम कर दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : "ब्राउन आउट्स" नामक संकल्पना का प्रयोग करके भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास द्वारा अनइंटरप्टेड डायरेक्ट करेंट (यूडीसी) संबंधी एक प्रायोगिक परियोजना कार्यान्वयनाधीन है जो कि विद्युत कटौती होने के बावजूद कुछ विद्युत उपलब्ध करा सकती है।

(ग) : दिनांक 01.04.2015 की स्थिति के अनुसार, देश में 18,452 गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांव थे। उनमें से, 27.07.2016 की स्थिति के अनुसार 9,176 गांवों को विद्युतीकृत किया जा चुका है। सभी शेष गैर-विद्युतीकृत गांवों को मई, 2018 से पहले विद्युतीकृत करने का लक्ष्य है।

(घ) : जी नहीं। ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता में वृद्धि की गई है। समाहित ग्रामीण विद्युतीकरण (आरई) घटक को शामिल करते हुए 75,893 करोड़ रूपए के परिव्यय से दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) शुरू की गई है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2045

जिसका उत्तर 28 जुलाई, 2016 को दिया जाना है ।

विद्युत की चोरी

2045. श्रीमती पूनम महाजन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को देशभर में विद्युत के अवैध कनेक्शनों की सतत समस्या और विद्युत की चोरी के अन्य मामलों की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विद्युत के अवैध कनेक्शनों और चोरी के अन्य मामलों के कारण हुई तकनीकी और वाणिज्यिक धनराशि (एटीएंडसी) की हानि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या सरकार का विद्युत चोरी के मुद्दों से निपटने के लिए स्पेशिएलाइज्ड एंटी-पावर थैफ्ट पॉलिसी स्टेशन स्थापित करने का विचार है जैसा कि पंजाब राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2014-15 की अवधि के दौरान विद्युत चोरी से संबंधित मामले अनुबंध-1 में दिए गए हैं।

(ख) : राज्य विद्युत वितरण यूटिलिटियों की कुल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों में अन्य के साथ-साथ, अवैध कनेक्शन और विद्युत चोरी के अन्य मामलों के कारण हुई हानियां भी शामिल हैं। वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान एटीएंडसी हानियों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और यूटिलिटी-वार ब्यौरे अनुबंध-॥ में दिए गए हैं।

(ग) : विद्युत चोरी के मामलों से निपटने के लिए राज्य पुलिस स्टेशन स्थापित कर सकता है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 151क के अनुसार अधिनियम के अंतर्गत किसी दण्डनीय अपराध की जांच करने के लिए, पुलिस अधिकारी के पास आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय XII में दिए गए अनुसार सभी शक्तियां होंगी।

अनुबंध-1

लोक सभा में दिनांक 28.07.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2045 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से विशेष न्यायालयों में दायर किए गए/पंजीकृत विद्युत चोरी के मामलों से संबंधित सूचना

राज्य/यूटी	वर्ष	उन मामलों की संख्या जिनमें निरीक्षण किया गया (सं.)	उन मामलों की संख्या जिनमें विद्युत की चोरी का पता लगा (सं.)	अवधि के लिए उपरोक्त मामलों में चोरी मानी गई वैद्युत ऊर्जा की अनुमानित मात्रा (एमयू)	ऐसी विद्युत की अनुमानित लागत (करोड़ रुपए)	उन मामलों की संख्या जिनमें दंड लगाया गया (सं.)
1. असम						
असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि.						
	2010-11	1731	479	0.93	0.65	479
	2011-12	1481	141	0.72	0.5	141
	2012-13	1385	136	1.45	1.02	136
	2013-14	1790	203	2.93	2.05	203
	2014-15	3000	388	6.16	4.3	388
2. छत्तीसगढ़						
सीएसपीडीसीएल						
	2010-11	242307	6991	11.44	19.6	2395
	2011-12	280092	7745	16.4	26.79	2236
	2012-13	280185	10130	24.86	18.25	9275
	2013-14	294363	10892	55.75	27.97	10834
	2014-15	272925	8145	42.83	32.55	8108
3. गुजरात						
डीजीवीसीएल, सूरत						
	2010-11	218679	10566	34.81	22.62	10566
	2011-12	197731	8992	28.48	18.51	8992
	2012-13	247758	10558	37.28	24.23	10558
	2013-14	190161	12804	40.57	26.37	12804
	2014-15	214783	11756	46.36	30.13	11756
एमजीवीसीएल						
	2010-11	321878	4825	9.2	6.1	64
	2011-12	345078	4921	8.13	5.63	55
	2012-13	293654	3742	7.02	4.19	6
	2013-14	399429	8274	11.61	9.11	25
	2014-15	357866	13035	22.53	16.17	51
यूजीवीसीएल						
	2010-11	697477	7906	24.4	6.2	3
	2011-12	632758	6846	17.65	5.3	0
	2012-13	631237	5562	16.3	4.14	0
	2013-14	812981	7513	17.88	6.23	0
	2014-15	756762	6480	16.69	7.08	0

पश्चिम गुजरात विज कंपनी लि.						
	2010-11	1085552	22933	54.55	31.54	0
	2011-12	934812	32305	52.06	33.22	0
	2012-13	1274926	50830	69.45	40.07	2
	2013-14	2006433	58908	62.63	43.22	10
	2014-15	1463826	51889	87.99	46.21	7
4. गोवा						
गोवा इलैक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट						
	2010-11	2175	93	0.27	0.25	93
	2011-12	2196	41	0.2	0.18	41
	2012-13	1936	24	0.055	0.05	24
	2013-14	2345	28	0.3	0.3	28
	2014-15	2715	84	0.8	0.94	85
5. हिमाचल प्रदेश						
हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रिसिटी लि.						
	2010-11	145996	255	0.25	5.48	255
	2011-12	124889	211	0.2	2.78	211
	2012-13	106815	392	0.37	1.44	392
	2013-14	115557	250	0.18	5.96	250
	2014-15	110707	260	0.26	3.05	260
6. कर्नाटक						
	2010-11	287252	64146	119.97	58.73	52901
	2011-12	247719	65273	712.09	54.88	42538
	2012-13	253934	54019	132.99	64.36	39643
	2013-14	279968	65822	123.12	57.19	54496
	2014-15	204776	54100	125.24	57.86	42676
बैंगलोर इलैक्ट्रिसिटी सप्लाय कंपनी						
	2010-11	163474	32323	95.19	31.51	32323
	2011-12	124646	23353	106.62	35.61	23353
	2012-13	117162	25066	113.19	43.8	25066
	2013-14	117253	32047	111.62	43.31	32047
	2014-15	101984	33805	114.75	45.56	33805
चामुंडेश्वरी इलैक्ट्रिसिटी सप्लाय कारपोरेशन कंपनी						
	2010-11	7193	646	0.4	0.59	646
	2011-12	8521	588	0.32	0.44	588
	2012-13	9428	582	0.41	0.5	582
	2013-14	23333	647	0.03	0.44	647
	2014-15	23286	766	1.41	1.8	766
मंगलौर इलैक्ट्रिसिटी सप्लाय कंपनी						
	2010-11	7373	1144	2.5	3.34	1144
	2011-12	7178	759	0.22	0.18	759
	2012-13	13282	1074	1.02	0.83	1074
	2013-14	90613	12246	0.43	0.56	12246
	2014-15	14949	229	0.25	0.44	229
हबली इलैक्ट्रिसिटी सप्लाय कंपनी						
	2010-11	24002	5019	10.48	11.21	5019
	2011-12	27612	5977	7.43	8.24	5977
	2012-13	28799	5000	4.12	5.63	5000
	2013-14	25347	2598	2.35	3.02	2598

	2014-15	28634	2083	2.57	2.65	2083
गुलबर्गा इलैक्ट्रिसिटी सप्लाय कंपनी						
	2010-11	85210	25014	11.41	12.09	13769
	2011-12	79762	26663	9.82	10.52	12449
	2012-13	85263	22297	14.24	13.59	7921
	2013-14	23422	18284	8.69	9.85	6958
	2014-15	35923	17217	6.26	7.41	5793
7. केरल						
केरल स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड						
	2010-11	23479	388	2.61	2.81	388
	2011-12	24090	336	1.8	2.19	336
	2012-13	21609	382	1.74	2.74	382
	2013-14	21758	386	2.74	3.15	386
	2014-15	31369	895	5.12	8.63	895
8. राजस्थान						
जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि.						
	2010-11	68304	15672	उपलब्ध नहीं	26.73	15672
	2011-12	57417	15580	उपलब्ध नहीं	25.95	15580
	2012-13	72069	15766	उपलब्ध नहीं	48.08	15760
	2013-14	30506	7590	उपलब्ध नहीं	31.03	7590
	2014-15	61083	15560	उपलब्ध नहीं	63.3	15560
अजमेर इलैक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिब्यूशन निगम लि.						
	2010-11	105932	43652	193.16	41.52	3162
	2011-12	120971	48643	189.11	47.28	3629
	2012-13	193746	78777	166.38	70.21	5545
	2013-14	106323	34363	154.02	64.99	3358
	2014-15	120700	41768	197.72	85.22	3084
जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.						
	2010-11	121381	71055	63.95	45.76	80
	2011-12	173860	99355	79.29	66.81	73
	2012-13	221589	134191	140.31	89.04	180
	2013-14	51498	24375	75.45	48.12	109
	2014-15	109870	74330	200.22	112.74	282
	2015-16	138286	92496	219.99	136.05	169
9. मेघालय						
मेघालय पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि.						
	2010-11	5787	3053	0.31	0.67	654
	2011-12	5546	2824	0.34	0.49	201
	2012-13	5106	2619	0.4	0.29	427
	2013-14	2861	1166	0.26	0.59	819
	2014-15	4568	1048	0.21	0.34	686
10. मिजोरम						
पावर एंड इलैक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट						
	2010-11	14459	381	0.36	0.023	381
	2011-12	23970	327	0.45	0.045	327
	2012-13	35548	7632	0.18	0.018	7632
	2013-14	63615	221	0.013	0.036	33
	2014-15	13795	101	0.026	0.024	46
11. नागालैंड						

विद्युत विभाग						
	2010-11	902	208	0.032	0.008	208
	2011-12	892	286	0.045	0.013	286
	2012-13	912	354	0.0535	0.021	354
	2013-14	3524	1288	0.773	0.031	1288
	2014-15	1234	909	0.279	0.11	909
12. तमिलनाडु						
तमिलनाडु जेनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कारपोरेशन लिमिटेड						
	2010-11	152532	6544	40.52	50.7	6537
	2011-12	285610	16817	46.86	80.39	16794
	2012-13	480953	26351	39.15	94.33	26343
	2013-14	468234	17993	17.31	45.97	17990
	2014-15	533323	18532	20.15	49.89	18530
	2015-16	603665	15455	21.88	49.79	15447
13. पश्चिम बंगाल						
सीईएससी लि. कोलकाता						
	2010-11	52973	13538	16.62	18.53	2063
	2011-12	50162	16032	12.31	13.79	2234
	2012-13	164319	15920	12.36	16.64	2708
	2013-14	392716	35946	18.11	12.93	3643
	2014-15	447650	78706	11.77	14.68	4637
वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि.						
	2010-11	9625	1072	16.78	15.5	967
	2011-12	11595	1250	26.783	14.62	1155
	2012-13	11780	1934	17.44	22.12	1550
	2013-14	23265	6233	23.328	27.994	2790
	2014-15	26132	6205	28.677	37.63	3186
14. दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र						
बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड						
	2010-11	13994	8511	50.26	44.72	8309
	2011-12	20196	17282	55.18	56.99	12227
	2012-13	21152	18239	48.72	60.6	12751
	2013-14	26031	23751	74.47	111.7	16622
	2014-15	39539	36139	103.59	179	30582
बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड						
	2010-11	15217	13572	59.04	45.19	16823
	2011-12	13867	12384	41.73	45.82	11820
	2012-13	9953	8898	27.68	42.57	7966
	2013-14	15291	14182	31.18	60.84	10630
	2014-15	23380	22838	58.59	116.8	18254
टाटा पावर-डीडीएल						
	2010-11	27144	13863	61.24	49	12485
	2011-12	25496	11099	52.53	45	9978
	2012-13	20014	8384	39.36	39	7272
	2013-14	18457	9226	38.49	46	8226
	2014-15	20211	8491	37.56	51	7380
15. दादर व नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र						
पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी						
	2010-11	36	1	0.57	0.36	1

	2011-12	37	0	0	0	0
	2012-13	68	0	0	0	0
	2013-14	27	0	0	0	0
	2014-15	19	1	0.03	0.0175	1
16. पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र						
	2010-11	139	9	0.035	0.014	9
	2011-12	689	2	30.74	2.36	2
	2012-13	3024	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	55
	2013-14	2271	7	0.18	0.31	7
	2014-15	2610	3	0.068	0.057	3
17. चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र						
चंडीगढ़ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट						
	2010-11	3718	205	उपलब्ध नहीं	1.21	205
	2011-12	3234	185	उपलब्ध नहीं	0.79	185
	2012-13	2814	101	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	101
	2013-14	1177	65	0.82	0.88	65
	2014-15	1879	62	उपलब्ध नहीं	1.43	62

(स्रोत: सीईए)

लोक सभा में दिनांक 28.07.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2045 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

राज्य-वार और यूटिलिटी-वार एटीएंडसी हानियों से संबंधित सूचना

क्षेत्र	राज्य	यूटिलिटी	2012-13	2013-14	2014-15
पूर्वी	बिहार	बीएसईबी	59.40		
		एनबीपीडीसीएल	50.85	41.93	41.76
		एसबीपीडीसीएल	45.77	48.70	45.28
	बिहार कुल		54.64	46.33	43.99
	झारखंड	जेएसईबी	47.49	26.30	
		जेबीवीएनएल			47.01
	झारखंड कुल		47.49	26.30	47.01
	ओडिशा	सेसू	43.43	38.48	37.08
		नेसको	39.61	36.47	38.36
		सेसको	49.36	41.18	42.57
		वेसको	41.87	41.24	41.03
	ओडिशा कुल		42.88	39.19	39.28
	सिक्किम	सिक्किम पीडी	53.51	71.23	42.37
	सिक्किम कुल		53.51	71.23	42.37
	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	34.43	32.05	35.35
	पश्चिम बंगाल कुल		34.43	32.05	35.35
पूर्वी कुल			42.04	36.24	39.64
पूर्वोत्तर	अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश पीडी	60.26	68.20	67.83
	अरुणाचल प्रदेश कुल		60.26	68.20	67.83
	असम	एपीडीसीएल	31.85	30.25	26.00
	असम कुल		31.85	30.25	26.00
	मणिपुर	मणिपुर पीडी	85.49	43.55	
		एमएसपीडीसीएल			49.62
	मणिपुर कुल		85.49	43.55	49.62
	मेघालय	एमईपीडीसीएल	41.71	39.77	34.69
	मेघालय कुल		41.71	39.77	34.69
	मिजोरम	मिजोरम पीडी	27.55	32.53	33.51
	मिजोरम कुल		27.55	32.53	33.51
	नागालैंड	नागालैंड पीडी	75.30	38.37	78.48
	नागालैंड कुल		75.30	38.37	78.48
	त्रिपुरा	टीएसईसीएल	34.45	41.81	38.02
	त्रिपुरा कुल		34.45	41.81	38.02
पूर्वोत्तर कुल			39.97	35.92	35.29

उत्तरी	दिल्ली	बीएसईएस राजधानी	15.16	16.19	10.76
		बीएसईएस यमुना	17.94	15.51	19.68
		टीपीडीडीसीएल	13.12	9.75	10.31
	दिल्ली कुल		15.22	14.09	12.90
	हरियाणा	डीएचबीवीएनएल	28.31	30.89	30.71
		यूएचबीवीएनएल	36.97	38.61	34.83
	हरियाणा कुल		32.55	34.33	32.52
	हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईबी लि.	11.90	14.82	15.21
	हिमाचल प्रदेश कुल		11.90	14.82	15.21
	जम्मू एवं कश्मीर	जे एंड के पीडीडी	60.87	49.14	59.04
	जम्मू एवं कश्मीर कुल		60.87	49.14	59.04
	पंजाब	पीएसपीसीएल	17.52	17.87	17.56
	पंजाब कुल		17.52	17.87	17.56
	राजस्थान	एवीवीएनएल	19.90	22.06	28.13
		जेडीवीवीएनएल	18.97	25.71	26.99
		जेवीवीएनएल	20.91	31.08	32.00
	राजस्थान कुल		20.00	26.77	29.28
	उत्तर प्रदेश	डीवीवीएन	45.69	36.47	40.18
		केसको	37.61	34.29	32.02
		एमवीवीएन	45.83	14.43	35.18
		पाश वीवीएन	33.39	23.49	22.19
		पूर्व वीवीएन	52.37	20.09	42.91
	उत्तर प्रदेश कुल		42.85	24.67	33.82
	उत्तराखंड	उत्तराखंड पीसीएल	23.18	19.01	18.82
	उत्तराखंड कुल		23.18	19.01	18.82
उत्तरी कुल			28.89	24.86	28.06
दक्षिणी	आंध्र प्रदेश	एपीसीपीडीसीएल	15.64	17.54	
		एपीईपीडीसीएल	10.15	6.57	7.67
		एपीएनपीडीसीएल	13.09	20.80	
		एपीएसपीडीसीएल	12.74	11.77	12.01
	आंध्र प्रदेश कुल		13.70	14.77	10.55
	कर्नाटक	बेसकॉम	20.45	18.93	17.59
		चेसकॉम	30.42	33.92	21.64
		गेसकॉम	18.28	30.45	21.25
		हेसकॉम	20.44	20.42	19.49
		मेसकॉम	14.57	14.83	15.72
	कर्नाटक कुल		20.78	22.02	18.71
	केरल	केएसईबी	12.32	11.45	
		केएसईबीएल		22.99	17.64
	केरल कुल		12.32	16.48	17.64
	पुडुचेरी	पुडुचेरी पीडी	9.13	16.18	16.64
	पुडुचेरी कुल		9.13	16.18	16.64
	तमिलनाडु	टेनजेडको	20.71	22.35	24.74

	तमिलनाडु कुल		20.71	22.35	24.74
	तेलंगाना नहीं	टीएसएनपीडीसीएल			16.49
		टीएसएसपीडीसीएल			11.91
	तेलंगाना कुल				13.23
दक्षिणी कुल			17.40	19.08	18.22
पश्चिमी	छत्तीसगढ़	सीएसपीडीसीएल	25.12	23.17	27.84
	छत्तीसगढ़ कुल		25.12	23.17	27.84
	गोवा	गोवा पीडी	14.14	10.72	13.31
	गोवा कुल		14.14	10.72	13.31
	गुजरात	डीजीवीसीएल	10.40	10.83	10.81
		एमजीवीसीएल	14.94	14.77	11.47
		पीजीवीसीएल	30.41	24.12	25.18
		यूजीवीसीएल	14.37	9.10	10.21
	गुजरात कुल		19.87	15.93	16.06
	मध्य प्रदेश	एमपी मध्य क्षेत्र वीवीसीएल		29.60	32.47
		एमपी पश्चिमी क्षेत्र वीवीसीएल		21.15	30.79
		एमपी पूर्वी क्षेत्र वीवीसीएल	36.40	34.83	27.09
	मध्य प्रदेश कुल		31.15	28.03	30.26
	महाराष्ट्र	एमएसईडीसीएल	21.95	14.39	19.75
	महाराष्ट्र कुल		21.95	14.39	19.75
पश्चिमी कुल			23.36	18.37	21.59
सकल योग			25.48	22.58	24.62

(स्रोत: पीएफसी)

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2061

जिसका उत्तर 28 जुलाई, 2016 को दिया जाना है।

अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल

2061. श्रीमती सुप्रिया सुले:

श्री धनंजय महाडीक:

श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकरराव:

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में चल रही अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार छत्तीसगढ़ कर्नाटक, महाराष्ट्र और ओडिशा में स्थापित चार स्पेशल पर्पज व्हीकल को समाप्त करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके पीछे क्या उद्देश्य है;

(घ) इन चार विद्युत परियोजनाओं पर सरकार द्वारा पहले से व्यय की जा चुकी राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं के लिए स्थापित चार स्पेशल पर्पज व्हीकल को समाप्त किए जाने पर इन चारों राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : चार अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाएं (यूएमपीपी) अर्थात् मध्य प्रदेश में सासन, गुजरात में मुंद्रा, आंध्र प्रदेश में कृष्णापटनम तथा झारखंड में तिलैया पहले ही विकासकर्ताओं को अंतरित की जा चुकी है। अवार्ड किए गए चार यूएमपीपी में से, दो यूएमपीपी अर्थात् मुंद्रा यूएमपीपी तथा सासन यूएमपीपी प्रचालन में हैं। इन दो यूएमपीपी की स्थिति निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	यूएमपीपी का नाम	स्थान	स्थिति
1.	सासन यूएमपीपी (6x660 मेगावाट)	जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश में सासन	परियोजना दिनांक 07.08.2007 को मैसर्स रिलायंस पावर लिमिटेड को अवार्ड एवं अंतरित की गई। परियोजना पूरी तरह से चालू हो गई है।

2.	मुंद्रा यूएमपीपी (5x800 मेगावाट)	जिला कच्छ, गुजरात में ग्राम टुंडावंड में मुंद्रा	परियोजना दिनांक 24.04.2007 को मैसर्स टाटा पावर लिमिटेड को अवार्ड एवं अंतरित की गई। परियोजना पूरी तरह चालू हो गई है।
----	-------------------------------------	--	---

(ख) और (ग) : निम्नलिखित यूएमपीपी में कार्यकलापों में, विभिन्न कारणों अर्थात स्थानीय लोगों द्वारा आंदोलन, तथा उपयुक्त स्थल/कोयला ब्लॉक चिन्हित न होने इत्यादि, से काफी समय से प्रगति नहीं हो रही है:

- महाराष्ट्र यूएमपीपी
- ओडिशा (दूसरा अतिरिक्त यूएमपीपी)
- कर्नाटक यूएमपीपी
- छत्तीसगढ़ में सरगुजा यूएमपीपी

चार स्पेशल पर्पज व्हीकलए (एसपीवी) को बंद करने का कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) : एसपीवी द्वारा व्यय की गई परियोजना-वार राशि के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

राज्य	संबंधित एसपीवी	व्यय की गई राशि (रुपए में)
महाराष्ट्र	कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लि.	8,02,12,237
ओडिशा	घोगरपल्ली इंटीग्रेटेड पावर लि.	4,93,59,600
कर्नाटक	कोस्टल कर्नाटक पावर लि.	4,40,30,206
छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लि.	79,74,38,660

(ङ) : छत्तीसगढ़ सरकार ने दिनांक 05.10.2015 एवं 05.04.2016 के पत्रों के माध्यम से सूचित किया है कि छत्तीसगढ़, 4000 मेगावाट का छत्तीसगढ़ यूएमपीपी स्थापित करने का इच्छुक नहीं है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2070

जिसका उत्तर 28 जुलाई, 2016 को दिया जाना है ।

विद्युत संयंत्र/ईओपी

2070. डॉ. सत्यपाल सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में प्रस्तावित विद्युत संयंत्रों तथा इनके स्थानों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
- (ग) क्या पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत किसी योजना का अन्य योजनाओं में हस्तांतरण किया जा रहा है तथा उन योजनाओं के अंतर्गत कार्य कराया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) उक्त योजनाओं के अंतर्गत ट्यूबवेलों के लिए पृथक फीडर लाइन बिछाकर किसानों को रियायती दर पर बिजली प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : विद्युत अधिनियम, 2003 के अधिनियमन के पश्चात, विद्युत के उत्पादन को लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है। इसलिए ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की तकनीकी आर्थिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। तथापि, केंद्रीय और राज्य यूटिलिटियों से प्राप्त सूचना के अनुसार, दिनांक 30.6.2016 तक की स्थिति के अनुसार देश में स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित नई ताप, जल विद्युत और न्यूक्लियर विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्रमशः अनुबंध-I, अनुबंध-II और अनुबंध-III में दिया गया है।

(ख) : 18वें इलेक्ट्रिक विद्युत सर्वेक्षण (ईपीएस) के अनुसार, विद्युत की बढ़ती हुए मांग को पूरा करने के लिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान परम्परागत स्रोतों से 88,537 मेगावाट के क्षमता अभिवृद्धि के लक्ष्य की आयोजना की गई है। परंपरागत स्रोतों से 88537 मेगावाट के इस लक्ष्य की तुलना में दिनांक 30.06.2016 तक 86565.72 मेगावाट क्षमता हासिल कर ली गई है।

(ग) : जी, नहीं।

(घ) : दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर-कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की न्यायसंगत रूप से पृथक्करण को सुविधाजनक बनाते हुए कृषि और गैर-कृषि फीडरों के पृथक्करण का प्रावधान है। तथापि, रियायती दरों पर किसानों को विद्युत की आपूर्ति करना संबंधित राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।

लोक सभा में दिनांक 28.07.2016 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 2070 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

विभिन्न केंद्रीय/राज्य यूटिलिटियों द्वारा प्रस्तावित नई ताप विद्युत परियोजनाएं

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य/स्थान	क्षमता (मेगावाट)
1.	तेलंगाना-1 (2x800 मेगावाट)	तेलंगाना	1600
2.	कटवा एसटीपीपी (2x800 मेगावाट)	पश्चिम बंगाल	1320
3.	बरेठी एसटीपीपी (4x660 मेगावाट)	मध्य प्रदेश	2640
4.	पुडीमडका	आंध्र प्रदेश	4000
5.	घाटमपुर (3x660 मेगावाट)	उत्तर प्रदेश	1980
6.	बिथनोक टीपीपी (1x250)	राजस्थान	250
7.	जवाहरपुर एसटीपीपी	उत्तर प्रदेश	1320
8.	ओबरा "सी" एक्सटें. (2x660)	उत्तर प्रदेश	1320
9.	पनकी	उत्तर प्रदेश	660
10.	डॉ. एनटीटीपीएस स्टेज-V	आंध्र प्रदेश	800
11.	श्री दामोदरम संजीव्याह	आंध्र प्रदेश	800
12.	इदलापुर	कर्नाटक	800
13.	उडानगुडी टीपीपी	तमिलनाडु	1320
14.	नॉर्थ चेन्नई स्टेज-III	तमिलनाडु	800
15.	अपर	तमिलनाडु	1600
16.	यदादरी	तेलंगाना	4000
17.	विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश	800

लोक सभा में दिनांक 28.07.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2070 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य/स्थान	क्षमता (मेगावाट)
1	मियार	हिमाचल प्रदेश	120
2	न्यू गंदरवाल	जम्मू व कश्मीर	93
3	रूपसियाबगर खसियाबारा	उत्तराखंड	261
4	तीस्ता स्टे-IV	सिक्किम	520
5	डिबिन	अरुणाचल प्रदेश	120
6	न्यामजंग छू	अरुणाचल प्रदेश	780
7	तवांग स्टे.-I	अरुणाचल प्रदेश	600
8	टाटो-II	अरुणाचल प्रदेश	700
9	तवांग स्टे.-II	अरुणाचल प्रदेश	800
10	सियोम	अरुणाचल प्रदेश	1000
11	कलाई-II	अरुणाचल प्रदेश	1200
12	हियो	अरुणाचल प्रदेश	240
13	टाटो-I	अरुणाचल प्रदेश	186
14	दिखू	नागालैंड	186
15	चांगो यांगथांग	हिमाचल प्रदेश	180
16	छतरू	हिमाचल प्रदेश	126
17	देवसरी	उत्तराखंड	252
18	मतनार	छत्तीसगढ़	60
19	लोअर सियांग	अरुणाचल प्रदेश	2700
20	हिरोंग	अरुणाचल प्रदेश	500
21	इटेलिन	अरुणाचल प्रदेश	3097
22	टलॉंग लॉडा	अरुणाचल प्रदेश	225
23	नेइंग	अरुणाचल प्रदेश	1000
24	किशी-I	मेघालय	270
25	लोअर कोपिली	असम	120
26	किरू	जम्मू व कश्मीर	624
27	कोटलीभेल स्टे.-Iए	उत्तराखंड	195
28	कोटलीभेल स्टे.-Iबी	उत्तराखंड	320
29	कोटलीभेल स्टे.-II	उत्तराखंड	530
30	अलकनंदा	उत्तराखंड	300

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य/स्थान	क्षमता (मेगावाट)
31	पकलदुल	जम्मू व कश्मीर	1000
32	कुटेहर	हिमाचल प्रदेश	240
33	नाफ्रा	अरुणाचल प्रदेश	120
34	डेम्वे लोअर प्राइवेट	अरुणाचल प्रदेश	1750
35	अथिरापिल्ली	केरल	163
36	क्वार	जम्मू व कश्मीर	540
37	स्वालकोट	जम्मू व कश्मीर	1856
38	सेली	हिमाचल प्रदेश	400
39	सचखास	हिमाचल प्रदेश	267
40	जेलम टमक	उत्तराखंड	108
41	बोवाला नंद प्रयाग	उत्तराखंड	300
42	डगामारा	बिहार	130
43	उम्नगोट	मेघालय	210
44	सुबानसिरी मिडिल (कमला)	अरुणाचल प्रदेश	1800
45	टगुरशिट	अरुणाचल प्रदेश	74
46	अट्टुनली	अरुणाचल प्रदेश	680
47	टुर्गा पीएसएस	पश्चिम बंगाल	1000
48	लोकटक डीएस	मणिपुर	66
49	मागोचू	अरुणाचल प्रदेश	96
50	किरथई-II	जम्मू व कश्मीर	930

लोक सभा में दिनांक 28.07.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2070 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

प्रस्तावित न्यूक्लियर विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य/स्थान	क्षमता (मेगावाट)
स्वदेशी रिएक्टर			
1.	गोरखपुर	हरियाणा	4X700
2.	चुटका	मध्य प्रदेश	2X700
3.	माही बंसवाड़ा	राजस्थान	4X700
4.	कैगा	कर्नाटक	2X700
5.	भीमपुर	मध्य प्रदेश	4X700
6.	कलपक्कम	तमिलनाडु	2X700
विदेशी सहयोगी रिएक्टर			
7.	कुडनकुलम	तमिलनाडु	4X1000 ^{\$}
8.	जैतपुर	महाराष्ट्र	6X1650
9.	कोव्वाडा	आंध्र प्रदेश	6X1000*
10.	छाया मिथी विर्दी	गुजरात	6X1000*
11.	हरिपुर	पश्चिम बंगाल	6X1000*

* मामूली क्षमता; \$ केकेएनपीपी 1 व 2 में अभिवृद्धि
